भारतीय लघ उद्योग विकास बैंक

(नधपती का निर्नेषन और प्रबंध)

विनियम 1990

म. 3114'मी एडी. बांग्ड/मामान्य वितियम.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक दोर्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रधिनियम, 1989 (1989 का 39) का घारा 52 होरा प्रदल शालियों का प्रयोग करते हुए मोर भारतीय मोधोंगिक विकास बैंक के पूर्व मनुमोदन से निम्न-निवित वितियम वताला है, मर्यानु:--

- संशिष्त नाम प्रोर लागू होनाः (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मारताय लखु उद्यांग विकास बैंक (वंडपत्रों का निर्गमन घोर प्रवंध) विनियम 1990 है।
- (2) वे विनियम भारतीय लघु उद्योग विकास येक प्रधिनियम, 1989 की धारा 15 की अपधारा (1) के खंड (क) के प्रधीन लधु उद्योग येक क्षारा पुरोधून ग्रोर विपर्य किए गए यंधपत्रों की लागू होंगे ।

 परिभाषाएं इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकृत बात न हो---

- (क) "मधिनियम" में भारतीय लघु उद्योग विकास बैक मधिनियम, 1989 मसिप्रेंत है,
- (ख) "दधपत्री" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के मधीन लघु उद्योग <u>देव द्वा</u>रा पुरोध्त या दिवय किए गए बंधपत मनिप्रेत है.
- (ग) "लघु उद्योग बैक" से घधिनियम के मधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकाम बैक मभिग्रेत है,

- (घ) "विरुषित बंधपत्र" से वह यंधपत्र प्रभिन्नेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग मपठनीय धोर प्रस्पतर हो गए हैं घीर बंधपत्र के मतरबपूर्ण भाग थे होने हे जहां:
 - (1) बंधपत्र को संस्था, निर्ममन, त्रिसमे बह संबंधित है, बंधपत्र का घलित मुख्य या ब्याज का संदाय घ्रभिनिखित किया गया है, या
 - (2) पृष्टांकन या पाने वाले का नाम तिला है, या
 - (3) नवीकरण रमीद या मनरण ज्ञापन दिया गया है।
- (ङ) "प्ररूप" से इन विनियभों की ग्रानुमुची में दिया गया प्रभण ग्रमिप्रेत है।
- (व) "लो गया बंधपत्र" से वह बंधपत्र अभिग्रेत है जो वाग्तव में खो गया है मौर वह बंधपत्र प्रभिन्नेते नही होगा जो दावेदार के प्रतिकूल किमी व्ययित के कटजे में है.
- (७) "विइत्त बंधपत्र" से वह बंधपत्र प्रभिन्नेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग विइत्त, ५.टे या नुकसानग्रस्त है,
- (ज) "निर्णमन कार्यालय" से लघु उद्योग बैंक का बह कार्यालय प्रभिन्न है जिसकी तहियों में बंधपत्र रजिस्ट्रीइन किया गया है या रजिस्ट्रीइन किया जा सर्वेगा.
- (झ) "बिहित मधिकारो" से लघु उद्योग बैंक का महाप्रयंधक या ऐसे मधिकारी मभिन्नेत है जो लघु उद्योग बक का निदेशक याई ढारा बिनियम 11. 12. 13, 15, 17, 19, मीर 20 थे: प्रयोजनों के लिए माधिइत किए जाएं :---
- (ज) स्टाक प्रमाण पत्र से वितितम :। के मधीन, जारी किया गता स्टाक प्रमाणपत्र मभिग्रेत है।

[साग III-- खण्ड ा]

- उ वे गर्चा का ला सार उनके हस्तांतरण का देगुन्धादि (।) यंध ²⁰ L
 - (क) कियो लिजियन व्यक्ति को या उसके बादेणानुसार संदेष बचनपत्र के, या
 - (ख) लघु उद्योग बेक की बहियों में रजिस्ट्रीइन्त स्टाक के इन में जिनके लिए स्टाक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, निर्मामत किए जाएंगे।
- (2) (क) यसायन के रूप में निर्गमित बंधपत्र परेणानुमार, संदेश रेगाति का रेट परेश्वरून मार परिदान द्वारा मनरणीय टागा
 - (ग्र) यनने तो करुप में जारी किए गएवधपक्ष पर कोई लेख, पृथ्ठाकन के उद्देश्य के लिए विधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसा लेख बंधपत्र द्वारा प्रभिहित रकम के केवल एक मेंग का मंत्ररण करने के लिए तात्सयित है।
- (3) स्टाक प्रमाणात्र के रूप में तिर्धमित मीर लघु उद्योग बैक की बहियों में रजिष्ट्रीहल बंधपत्र प्ररूप 5 में घंतरण के दस्ता बेज का निष्पादन करके याती पूर्णत. या घंगना वंतरणोय होना ऐसे मामने में घंतरक स्टाक के रूप में, जिससे घंतरण संबंधित है. निर्गमित बंधपत्रों का धारक समझा जाएगा जब तक कि घतरिती का नाम लघु उद्योग बैक ढारा रजिस्ट्रीहत नहीं किया जाता है।
- (3) (क) इसमें प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सघु उद्योग बैक वंधपत्रों के हरुदार व्यक्ति के मनुरोध पर बंधपत्नों के दुरुदार व्यक्ति के नाम में लघु उद्योग बैक हारा रखे जाने बाल खाने में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करेगा।
 - (ख) बेबाब या तो बबाकों की प्रतियुति के समय प्रारंभ में . लघु उद्योग बैंक की लेखा-बहियों में प्रविष्टि के रूप में या बाद में बचन पत्र या स्टाक के रूप में निर्गमित बंकात्रों के संपरिवर्तन ढारा निर्गमित किए जा सर्वेने।
 - (ग) यदि कोई वधपत्र पहले ही वचनपत्र के रूप में निर्गमित भिगा जा जुरु। हे तो लघु उद्योग बैंक में किसी खाते में प्रतिष्टि के रूप में उसकी धारण करने का इच्छुक बंधपत्र धारक प्ररूप XI में अध्यपेक्षा करेगा झौर लघु उद्योग बैंक की बहियों में किसी खाते में प्रबिष्टि के रूप में बंधपत्र को धारण करने के लिए लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्पत्र रूप में पृष्ठोकित बंधपत्र का प्रभ्यपंज करेगा।
 - (प) यदि बंधपत स्टारु अभाणपत्न के रूप में निर्गमित किया गया है तो धारक बंधपत्र का लघु उद्योग बैंक के पक्ष में मतरण इस मनुरोध के साथ करेगा कि उसे बंधपत्न धारक के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण किया जाए,
 - (ङ) लघु उद्योग वंक ढारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप XII में ग्राबेदन करके बंधपत्रों को बचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत के रूप या मंतरित या संपरिवर्तित करा सकेगा।
 - (व) लपु उद्योग बैंक की बहियों में खाते में प्रविध्धि के रूप में बधापत निर्मामित करने के लिए या पहले ही निर्मामत बंधापता की बननपत्र या लघु उद्योग बैंक की बहिया में प्रविध्धि के रूप में स्टाक में संपरिपतित करने के लिए प्राया परियों में प्रविध्धि के रूप में स्टाक को या बननपत्र को काणन प्रायाग्वितिन करने के लिए कोई फीम प्रभाव नहीं है।

भारतका राजपत्रः प्रसाधारण

(छ) लघु उछोग वैक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में निर्गामत या धारित बंधपत्र प्रश्य XIII में प्रतारण लिखत का निष्पा-दन करके संतरणीय होंगे। ऐसे मामलों में अंतरक ऐसे बंधपत्रों का. जिनके संबंध में अंतरण है, धारक ऐसे समय तक समझा नाएगा जब तक संतरिती का नाम लघु उद्योग बंक ये प्रविष्टि नहीं कर दिया जाता है।

10.11.00

- (4) (क) वंधपत लघु उद्योग विकास बैक के प्रबंध निवेशक के या उत्तक प्रमुपस्थिति में थिशी कार्यपालक निवेशक सौर/या उपके महाप्रश्वेयक के हरणाकर से निर्णमिए किया जाएगा जो मुद्रित, उल्हीर्ण, लिथी किया हुसा या लघु उद्योग बैंक के निदेशानुसार किसी दूगरी यालिक प्रक्रिया ढारा छना होगा।
 - (ख) इन प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लियो किया हुमा या मन्यथा छपा हुमा हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो बह हस्ताक्षरकर्ता के प्रपते ही उचित हस्तलेख में किया गया है।

(5) वचनपय के रूप में किसी बंधपत का कोई भी पृष्टाकन या स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में किसी बंधपत के मामने में प्रंतरण की कोई लिखन तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक वह धार। के या सम्यक रूप से गठित. उसके घटनीं या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से न की गई हो, ऐसी लिखन किसी बंधपत्न की दशा में स्वयं बंधपत्न के पृष्ट पर बचनपत्न के रूप में भीर किसी स्टाक प्रमाणपत्न की दशा में पंतरण की लिखन पर लिखी जाएगी।

4. न्यास मान्यता प्राधा नहीं हैं :--(क) लघु उद्योग बैंक को किसी न्यास या किसी बंधपत को बाबत धारफ के अपर पूर्ण प्रधिकार से भिन्न मधिकार को, भले हो उसको उसको मूचना हो, मान्यता देने के लिए बाध्य या विवग नहीं किया जाएगा।

(ख) उप विनियम (1) के उपवन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव रातें बिना लघु उपोग वैंक, मनुप्रह के तौर पर भीर मगने किसी दायिस्य के विना, स्टाक के रूप ने निर्गामित किसी घंधपत्न के धारक द्वारा, स्टाक के स्थाज पर या परिपक्षता। मूल्य के संदाय या स्टाक के मंतरण या उसके संबंध ों ऐसी बातों पर निदेश जिन्हें लगु उद्योग बंध उचित समझे, मपनी बहियों में मभिलिखित कर सकेगा।

5. त्यांसियों मौर पदधारकों ढार। स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपधन्ध: (1) कोई पदधारक स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में कोई बंधपत--

- (क) अपने वैयक्तिक नाम में, जिसका लघु उद्यांग बैक की बहियों और स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में वर्णन है, उसके मावेदन में विनिर्दिप्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी ऐसी यहंता के थिना न्यासी के रूप में, या
- (ख) मगने पद के नामें मे,

धारण कर सकेगा।

(2) उस स्यक्ति ढारा जिमके नाम में संधपत्र है, लघु उद्योग वक ढारा मपेक्षित प्ररुप्नों में लघु उद्योग बैक को किए गए लिखित मावदन पर मौर बंधपत्र के मध्यपंज पर लधु उद्योग बैक---

(फ) उंगे अपनी बहियों में किसी थिनिदिष्ट न्यास के न्यासी थे. रूप में या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना न्यासी के रूप में प्रविष्ट कर गर्केगा प्रोर यथाण्यिति, न्यास क विनिर्देश

के साथ था चितिर्देण के चिता, ग्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम में स्टार प्रभाणपत्र जारी कर सकेना, था

19

1

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

- (i) उक्त मनुराध इस विनियम के उप विनियम (1) के उपवन्धों के मनुरूप है,
- (ii) उप विनियम (7) के निबंधनों के अनुमार लघु उद्योग बैंध ग्रारा प्रयोशित प्रावश्यक माध्य पेक्ष कर दिया गय। 2 क्रार 1
- (ii/) यदि, यधपत वधनपत्र के रूप में है तो वह लघु उद्योग वीर के लाग पुष्ठाकित कर दिया गया है सीर यदि वजपत स्टाक प्रभाषपत्व के रूप में है तो उसकी रजिस्ट्री-इत्ते धारक डारा प्ररूप X में रसीद दे दी गई है।

(3) उप विनिधम (1) के घंधोन स्टाक प्रमाणपत्र पदधारक ढारा या तो अपकेले ये। प्रत्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेना ।

(4) जब स्टाक किमों व्यक्ति द्वारा मपने पद के नाम में धारित किया जाता. हे तब संबंधित स्टाक प्रमाणपत्न से मंबंधित कोई दस्तावेज उस समय उम नाम से, जिसमें स्टाक प्रमाणपत्न धारण किया जाता है, पद धारण करने यांते व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकेना मानों उसका बैयक्तिक नाम इस प्रकार कथित है।

(5) जहां लघु उद्योग बैंक को बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में उल्लिखित स्टाक प्रमाणपत्र धारक ढारा निप्पादित किया गया ताल्पयित कोई अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग बैंक को पेग किया जाता हैं वहां लघु उद्योग बैंक को इस बात की जांच करने की मावश्यकना नहीं होंगी कि क्या स्टाक धारक किमी न्यास या दस्तावेज या नियमों के नियंधनों के प्रधीन कोई ऐसा मधिकार दंने या ऐसा विलेख का पून्य दस्तावेज निध्पादित करने का हकदार है, मार ऐसे, मंतरण-विलेख, मुक्तारनाम या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्य कर सकेगा मानों निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र धारक है, मीरें चीहे मंतरण विलेख, मुख्तारनाम या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्य कर सकेगा मानों निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी या पद्र धारक के रूप में उल्लियित किया गया हो या नहीं मौर चाहे उसका स्यासी या पदधारक को मगनी हेनियत से मंतरण विलेख, मुख्तारनामे या दस्तायेज का निष्पादिन करना ताल्पयित हा या नहीं।

(6) इन विनियमां की किसी बात से यह नहीं समझा आएगा कि बह किसी न्यास था किमी दस्तावेज या नियमों के प्रधोन किन्हीं न्यासियों या पद धारकों योर हिताधिकारियों की, न्यास गठित करने बाली लिखत के उपबन्धों या उन संस्था के, जिसका स्टाक प्रमाणपत्र धारक पद का धारक है, नियमों को विधि के नियमों के यनुसार न करके प्रान्यथा कार्य करने के लिए प्राधिष्ठत करती है घीर लधु उद्याग बंक घोर किसी स्टाक प्रमाणपत्र में कोई हिन धारण या प्राजित करने वाला कोई व्यक्ति या कोई स्टाक प्रमाणपत्र धारक को किसी स्टाक प्रमाणपत्र के संबंध में लघु उद्योग बंक द्वारा रखे नए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज में किसी यात के कारण किसी न्यास या किसी स्टाक प्रमाणपत्र धारक की वैश्वासिक बाध्यता की सूचन; है।

(7) किस्ती व्यक्ति डारा किसी पद के धारक के रूप में इस विनियम के मनुसरण में किए गए किसी मावेदन पर या किसी दस्तावेज पर जिसका निष्पादित किया जाना तात्पयित है, कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैक यह साक्ष्य पेत्र करने की संपंधा कर सकेंगा कि ऐसा व्यक्ति उस पद का तत्समय धारक है। 6. स्यास/स्यासी (स्यासियी) इत्ता वचन पत्नों के रूप में निर्धामन संवयद धारण करने के लिए उपसंच --(1) बिनियम न के उप-बिनियम (1) के उपबंधी पर प्रतिकृत प्रभाव काले बिना, पषु उद्योग बैश घायेदक के सन्देशन पर आर लग् उद्याग की के दायिस्व के बिना, यशास्त्रिति किसी बिनिदिष्ट स्वास या उम स्याग के स्वानी (स्वासियी) के नाम में या पावेदक के बैगविनक नाम में, उसे उत्तरे पावेदन में बिनिदिष्ट स्यान के स्वासी के रूप में या ऐसे बिनिर्देशों के दिना स्वासी के रूप में, बचनपत्र के स्वा में कोई धंन्याच निर्धाय कर मकेना ।

(2) जहां वननपत्र के रूप में कोंड बंधपत्र, धारक के वैयक्ति । नाम में हैं बहां लघु उद्योग बैंग, लघु उधोग बैंग द्वारा मंगेशित प्ररूप म उसके द्वारा किए गए माबेदन पर तथा ऐन बंधगत्र के मध्यपौण पर इस के उपबिनियम (1) से मधिनधित रीति में यननपत्र के रूप में मबोधन बंधपत्र निर्यमित कर सकेगा, परस्तु यह गत जबकि——

- (i) इसके उन विनियम (6) के निरंधना के मनुमार लगु उद्योग वैक डारा प्रपेतित मावण्यक साध्य प्रस्तुत कर दिया गया है. प्रोर
- (ii) बंधपत्र लघु उद्यागदेक के पक्ष में पृष्टाकित कर दिया गया है।

(3) उप-विनियम (1) के मधीन बंधपत्र किसी स्थास के स्थासी ढारा मकेले था उस स्थास के स्थामियों के रूप स किसी म्रन्थ व्यक्ति या व्यक्तियां के साथ संयुक्तः धारण किया जा मकेगा।

(4) जहां बचनपत के रूप में कोई बंधपत न्यासी के रूप में बंधपत धारक द्वारा पृष्ठांकित किया गया तार्सायत है य. जहां बंधपत धारक द्वारा निष्पादित किया गया कोई मुकारनामा या मन्य बस्तावेज लघु उद्योग बैक में पेल किया जाता है बहां लघु उद्यांग बैक को यह जांव करने की माबश्यकना नहीं होंगे कि क्या बंधपत्र धारक किसी ग्यास या दस्तावेज या नियमों के निवंधनों के मधीन ऐसा पृष्ठांकन करने या ऐसा मुकारनामा या मन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है मार पृष्ठा-कन, मुकारनाम या बंधात पर उसी रोति से कार्य कर सकेना मानो ऐसा पृष्ठांकन बंधनत धारक है मार चाहे यंधपत्र धारक पृष्ठारनाम या दस्तावेज वा दस्तावेज में ग्यासी के रूप में उल्लिखित है या नहीं धोर चाहे ग्यामा को हैसियत में उनका ऐसा पृष्ठांकन करना या मुकारनामा या दस्तावेज निष्पादित करना तार्श्यात हो या नहीं ।

(5) इन विनियमों की किसी वात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी न्यास या किसी दस्तावेज या किन्हीं नियमों के मधीन किन्हीं भ्यासियों मौर हिताधिकारियों को क्यास को लागू होते वाले विधि के नियमों या न्यास गठित करने वाली लिखत के निवंधनों के मनुसार न करके मन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिइन करती है।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा किसी न्यास के न्यासी के रूप में इस विनियम के प्रनुसरण में किए गए किसी प्रावेदन पर कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह गाध्य पेश करने की प्रपंक्षा कर सुकेगा कि ऐगा ब्यक्ति उस न्यास का तत्समय न्यासी है।

7. व्यक्ति जो धारक होने के लिए निरहित है:---कोई भी मवयस्क या कोई भी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय द्वारा विद्वतचित का पाया गया है बंधश्वों का धारक होने का हकदार नहीं होगा।

अ व्याज का संदाय:---(1) वचनपत के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संदाय, निर्गमन कार्यालय या बंधपत्र प्रास्पेक्ट्र में बिनिदिप्ट लघु उद्योग बैंक के किसी दूगरे कार्यालय द्वारा वंधपत्र धारक द्वारा ऐसी प्रोपासीरिकताओं के पालन के प्रधीन रहते हुए जिनकी लघु उद्योग ये। प्रपेक्षा करें मार बंधपत्र को पेश किए जाने पर, किया जाएगा।

(2) स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में बंधपत पर व्याज का संदाय. मेंपाने वाले के खाते में देय रेशिन धधिपत जारी करके या ऐसी घल्य रीति में किया जाएगा जेसी लघु उद्योग देकद्वारा विनिष्धित की जाए। व्याज के

[NIN [][--UTT 4]

सटाय के समय स्टाक प्रमाणपत पेन करने की मपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु पाने बाला म्राधिपत्र के पीछे उनकी प्राप्ति मभिक्षीकार करेगा।

(3) लघु उद्योग देक की बहियों में प्रथिष्टि के रूप में धारित किसी बंधपत्र पर व्याज का सदाय लघु उद्योग बेक ढारा पाने वाले के साते में देय रक्षित कथिपत जारी करके या ऐसी कव्य रीति में किया जाएगा जीसी लघु उद्योग बेक ढारा विनिध्चित की जाए।

9 यचनपत के रूप में वधपत के म्यो जाने मादि पर प्रतिया:---(1) जिस किसी यंधपत के बारे म यह प्रसिकवित हो कि वह स्वो गया है. चोरो हो गया है. तट हो कैया है, मंगतः या पूर्णतः विकृत मथवा थिरूपित हो गया है. उसके स्वान पर उसकी मनुलिपि जारी कर-ले के लिए प्रत्येक आवेदन पत निर्गमन कार्यालय को मेन जाएगा मोर उसमें निम्नलिक्ति विशिष्टिया होगी, मर्थात :--

- (कः) ग्रमपु उद्योग किःस्य के अध्यक्ष गः। भारतीय नघु उद्योग किःस्य केंद्र अध्यक्ष गः। बंधयत्र संज्ञ (क्यो)
- (ग) गिछनी छमाहो त्रिमके लिए क्याज का मंदाय किया गया है.
- (ग) यह व्यक्ति जिसको उक्त स्याज का सदाय किया गया था,
- (घ) वह व्यक्ति जिसके नाम में बधपव निर्गमित किया गया था (यदि प्रात हो),
- (ङ) बंधपत के को जाने, चोरी हो जाने, नग्ट हो जाने, विहुत या विरूपित हो जाने की परिस्थितियां, कोर
- (च) क्या बंधपल के मौ जाते या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई घी।
- (2) ऐसे प्रावेदनपत के साथ निम्नलिभित भेजे जाएंगे :---
- (क) जहां बंधपत्न रजिस्ट्री टाक में प्रेपित किए जाने के दौरान खोगया या वहां बंधपत प्रतिगट करने वाले पत्र की डाकधर से प्राप्त रजिस्ट्री रगीड.
- (ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुनिंम को दी यई हो ती पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,
- (ग) यदि मावेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जिपथ लिया गया ऐसा नामपत जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मावेदक बंधपत्र का म्रतिम विधिक धारक है, मोर रजिस्ट्रीकृत धारक के हक का पता सवाने के लिए मावण्यक दस्तावेजी साक्ष्य, म्रोर
- (भ) खो गए, चोरी हो गए, नप्ट्र हो गए, विइन्त या विरूपित बंधपत्न का कोई बचा हुमा भाग या टुकड़े।

10. राजपत में मधिमूचना :---- वचनपत के रूप में बंधपत या उसके किसी माग के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विहृत या विरूपित हो जाने के खहा बंधपत हो जाने की मधिमूचना भाग्त के राजपत मोर उस स्थान के जहां बंधपत जो गया या चोरी, भाट या विरूति या विरूपित हो गया चा, किमी स्थानीम राजपत में, यदि कोई हो, सगातार तीन मंकों में मावेदक टारा दुरस्त प्रकाणित की जाएगी। ऐसी मधिमूचना निम्नलिचिन प्ररूप में या जनमान ऐसे प्ररूप में होंगी जो परिस्थितियों से मनुमात हो :---

प्रतिभत बंधपत्र का रुपए को भारतीय लघु उठांग विकास बेक बंधपत्र राज्यों मूलतः थी के नाम में है मोर मतिम बार थी स्वत्वधारी को पृष्ठांकित किया नया है जिसने उपका किसी मध्य व्यक्ति के नाम कर्भ, पृष्ठांकन नही किया है जो मया है/घोरी हो गया है/नष्ट हो यया है/बिइन्त या विरूपित हो मया है. मतः इगके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निर्णम कार्यामय में उपयुंक्त बंधपत्र मौर उस पर संदेव व्याज का संदाय रोक दिया गया है घोज इसके स्वत्यधारी के पक्ष में इसकी एक मनुसिपि जारी किए जाने के लिए मावेदन प्रस्तुत किया जाने वाला है या किया गया है। जनना को यह चेतावनी दी जाती है कि ये उपर्युक्त बन्नपत्र का जय या उगने गंबधित मन्यया कोई जेन-देन न करे।

ग्रधिगूर्वित करने वार्थे क्यक्ति का नाम निवास

* जो मागून हो उसे बाट दें।

।। बंधपत्र की मनुलिपि जारी करना भार उसके लिए धनिपूर्ति लेना --

- (क) यदि बंधपल का एक भाग हो खो गया है, बोरी हो गया है. नग्ट हो गया है, विरूपित हो गया है प्रांर यदि उसका कोई ऐसा भाग पेंग किया गया है जो उसकी पहुचान के लिए पर्याप्त है तो इसमें मागे उल्लिखिन क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निष्पादिन किए जाने पर विनियम 13 के मधीन सूची के प्रकाशन के तुरल्त पण्चात या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसा मनधि की समाप्ति पर जो विहित मधिकारी मावस्थक समझे यह मादेश देगा कि स्थाज का मंदाय किया जाए मोर उस बध्यात्र के स्थान पर जिसका कोई भाग खो गया है, बोरी हो गया है, मप्ट हो गया है, विरुत या विरूपित हो गया है, माबेदक को उसकी मनुलिपि जारों की जाए,
- (स्त) यदि इस प्रकार स्त्रों गए, नप्ट हो गए, विहान या विरूपित बंधपत का कोई भी ऐसा माग पेज नहीं किया गया है जो उसकी पहचान के निए पर्याप्त है नो :
 - (i) उपत मूचो के प्रकाशन क दो बर्प के परवान धोर इसमें घागे विहित रोति में क्षतिपूर्ति बंधपत के निष्पादित किए जाने पर, इसमें घागे उपबन्धित चार बर्ख की घवधि के समाध्न होन तक, झाबेदक को दम प्रकार खो गर, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विरूत या विरूपित बंधपत्र की बाबत स्याज का संदाय किया जाए, घीर
 - (ii) उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के पृण्यात प्रावेदक को इस प्रकार खी गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विहृत या विकपित बंधपत्र की सनुसिपि जारं। की जाए, परस्तु यह कि;
 - (1) यदि वह नारीख जिसको बंधपत प्रतिसंदाय के लिए भोध्य है उस नारीख से पूर्व पड़नी है जिसको बार बर्व को उक्त प्रबंधि समाप्त होता है तो विहित प्रधिकारी, पूर्वनर नार्र, ख से छह सप्ताह के भीतर बंधपत्रों पर गोथ्य मूल रक्तम टाक्रपर धवन बंक में विशिहित कर देना घोर इस रक्तम वा स्वाज महित. जो उस पर ऐसे बंक में प्रोरभुत हुमा हो, प्रावेदक को उस समय पर संदाय करेगा जब धंधपत्व की घनुन्तिनि प्रभ्याचा जारी की तई होनी प्रोर

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(2) यदि बंधपत की मनुसिपि जारी किए जाने मे पूर्व किमी भी समय मुल बंधपव मिल जाता है या निर्गमन कार्यालय को किन्ही ग्रन्थ कारणों ग ऐसा प्रतीत होता है कि छारेज किसंडित किया जाना चाहिए ता मामला विहित पश्चिकारी का प्रागे विचाराथं निर्देशित किया जाणमा योग इग बीच इस पादेश पर गभी कारं वार्ट निलीबन कर दी अलगी। रेडम उप विनियत के प्रधीन पारिल पारंग उसमें उल्लिखित चार वर्ष की प्रवधि सभाष्त होने पर धतिम हो जाएगा जब तक कि ध्य बांच उस प्रादेश को विम्तेडित या प्रत्या उपानरिन नहीं कर दिया जाता है।

(2) बिहित ग्राधकारी किसी बंधपत की ग्रन्तिपि जारी करने के पूर्व किमी भी समय ददि इसके पाम पर्याप्त कारण हो इस विनियम के मधीन जारी किए गए भपने प्रादेण को परिवतिन या रह कर मकेगा मौर यह भी निरंग दे मकेगा कि बधपक्ष की मन्लिपि जानी करने के पहले का घतराल चार यह से मनधिक ऐसी मनधि तक बढाया जाए जो बह ठीक समझे।

- (3) क्षतिपुर्तियां -
- (क) (i) जब उप विनियम (1) (क) के प्रधान निष्पादित का जाएं तद प्रश्तवंतित व्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए मर्थात उस बंधपत्न पर प्रोदभुत शोध्य व्याज की सभी पिछनी रकम की दुगुनी रकम धन उग घवधि में, जो बंधपत्र की मनुलिपि जारी करने के पूर्व व्यतीन होना चाहिए, उम बंधपत पर प्रोदभूत शोध्य व्याज को सभी रकम को दुगुनी रकम के लिए होगी, मार
 - (ii) धन्य मभी मामलों में बंधपत्र के प्रंकित मृत्य की दूगनी गरमधन खंग्ड (1) के चनुसार मंगणिन व्याज की रक्म गां दुगुना रकम के बिने हागी ।
- (ख) बिहित मधिकारी यह निदेश द सकेवा कि ऐसी क्षतिपूर्ति केवल पायेरक ढारा मयवा भावेदक या घपन ढाग मनु-मोदित एक या दो एँसे प्रतिभूमों दारा जिन्हें वह उचित समझे निष्पादिन की जाएंगी।

12 स्टाक प्रमाण पक्ष के रूप में बंधपत्र के खो जाने सादि पर प्रतिथा :-- (1) किमी ऐसे स्टाक प्रमाण पत्र के स्थान पर जिसके बार में यह मभिकथित हो कि बह खो गया है, बोरी हो गया है, मंत्रतः या पूर्णतः विकृत प्रववा जिल्पित हो गया है, उसकी प्रनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक ग्रावेदन निगंम कार्यालय को भेजा जाएगा गांर उसके साथ निम्नलिखित भेजे जाग्गे,

- (क) यदि स्टाक प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दोरान मों गया है तो स्टाक प्रमाण पत्र पंतविंग्ट करने बाले पत्र की डाक घर से रजिस्ट्री रसीद,
- (स्त्र) यदि ग्टाक प्रमाण पत्न के खो जाने या चांगी हो जाने गौ रिपोर्ट पुलिस में की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति.
 - (ग) मजिरट्रेट के समझ लिया गया ऐसा मन्ध्रपत जिसमें यह प्रमाणिन निया गया है जि प्रावेदय स्टाह प्रमाण पन का निक्ति धारक है मोर कि स्टाक प्रमाण पत न तो उसके बड़बेंग ह भीर न ही उसने उसे अंतरित किया है, गिरवी रेखा है या ्रमन्यमा जम पर कोई लेन देन किया है, मोर
- (ष) जायण, चोरी हो गए, तन्द्र हो गए, जिङ्गत या विम्तुपित स्टाक प्रमाण पत्र के बंब हुए कोई भाग या टुकड़े।

(2) पावेदन में स्टाक प्रमाण गत्न के सो जाने की परिश्वतियों का वत्यन किया जागगा।

(3) यदि विहिन प्रधिकारी का स्टाक प्रमाणपत के खो जाने, चोरी हो जाने. तुन्द हो जाते. जिङ्गत या विरुपित हो जाने के गंबंध में मगाधात हो जाता है तो बह मन प्रमाण पत्र के बदने में उगकी प्रनमिषि जारी करने का निरंश देगा।

13 यूची का प्रकाशन -- (1) विनियम 11में तिरिण्ट सूची भारत के राजपत्न में ध बादिक रुप में जनवरी घोर जलाई में या उसके पण्चात सुविधानुसार शोध प्रकाणित की जाएगी।.

(2) गमी बंधात जिनकी बादन मादेग विनियम 11 के प्रधान पारित किया गया है ऐंस मादेश पारित किए जाने के पत्र्यान प्रवर्गांशत होने बाली पहली सूची में गम्मिलित किए जाएंगे कोर तत्प्रचात बे बंधणव प्रत्येक उत्तरवर्ती सूची में तब तक माम्मलित किए जाने रहेगे जब तक कि प्रथम प्रकाणन की नारीख से चार वर्ष की प्रकथि समाण नही हा जाती है।

(अ) मुची में गरिमलित किए गए प्रत्येक बंधपत के गवंध म निम्नलिखित विणिष्टियां दी जाणगी, प्रयति निर्गमन का नाम, वंधपत का संख्यांक, उसका मल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे वह निगंमित किया गया था, वह तारांख जिससे उस पर स्थाज लगेगा, पन्तिपि के लिए मावेदक का नाम, बिहित प्रधिकारी हारा म्याज के संवाय पर प्रनुलिपि जारी करने के लिए पारित मादेश का संश्वाक मार तारीन मोर उस मुचा के प्रणान की तारीख जिसमें बह बंधपत पहली बार सम्मिलिन किया गया 1 12

11 लघ उद्योग बेक का विवेकाधिकार :-- विनियम 10, 11, 12 भोर 13 में किसी बात के होते हुए भी, बहां लघु उद्यांग बंक फिसी मामने में ठीक समझना है बहां बंधपन्न की मनुलिपि जारी करने के संबंध में उसमें बिहित प्रत्रिया से मजिमुक्ति देना घोर क्षतिपूर्ति के बारे में लेग निवंधनों पर, जो बह ठीक समझे, या प्रत्यथा बंधपत को भनुलिपि जारी करना लघु उद्योग बंक के लिए बिधिपूर्ण होगा।

15 विकृत बंधपत का ऐसे बंधपक्ष के रेग में प्रबधारण जिसकी प्रनृतिषि का जारी किया जाना प्रगंधित है :--विहित प्रधिकारी का यह विकल्प होगा कि बह किसी बंधपत को, जो विहत या बिहपित हो गया है, ऐसे बंधपत के रूप में माने जिसकी बिनियम 11 के अधीन मन्सिपि जारी किया जाना या त्रिनियग 19 के मधीन मात्र नदीकरण मपेक्षित है।

16. बचनपत के रूप में बंधपत का नवं।करण कराने की कब घपेक्षा का जा सकेगी :- (1) बचनपत के रूप में बंधपत के किसी धारक से .निगमन कार्यालय दारा निम्नलिखित प्रवरवाणों में वचनपत का नवीकरण कराने के लिए उस पर रसीद लिखने की प्रपेक्षा की जा सकेगी, प्रयांत :-

- (क) यदि बंधपत के पाछे केवल एक घोर पुष्ठांकन के लिए ही पर्याप्त स्थान बचा है या यदि कोई सब्द बंधपत पर बनेमान पुष्ठावन या पुष्ठाबनों के उत्पर लिखा गया है,
- (म्ब) यदि निगंमन कार्यालय की राय में बंधपत्र फटा हुमा है या किसी प्रकार में नकमानयस्त या लिखाई में भरा हथा है या रोक नहां है.
- (ग) यदि कोई प्रायाक स्पष्ट मोर मुझिन नहीं है या, यथास्थिति पान बाले का या पान कानों के नाम नहीं दशांता है या यधपत के पीछे के प्रधानन खानों में से किसी एक खाने में न करके किगी घोर नगेके में किया गया है,
- (ग) यदि बंधपत्र पर व्याज दस वर्षे था उससे प्रधिक समय तुक मनाहरित रहा है,

(क) यहि यथनच के पोर्ड हिए गए ब्याज के स्तंभ पूरी तरह भर भए र या गरि इम तारीपा को जब ब्याज के याद्रपण के लिए न एक परंग् ते किया जाता है. वंधपाय के पीछे महित स्थानी स्थान उम इम्पाटिया के साथ मेल नहीं स्थात. जिनके लिए ब्याज जोध्य हो गया है.

- (च) यदि स्थाज के मदाय के लिए तीन बार मुखांकिन किए जाने पर बराग्य पिर मराफन के लिए प्रस्तन किया जाता है. प्रार
- (६) गांध निर्णमन नामालय की रुप में ज्याज के संदाय के लिए बचपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक प्रतियमित हे सा पूर्णतया सावित नहीं हुपा है।

(2) जब बंधपत का नवीकरण कराने के लिए सध्यपेक्षा उप विनियम (1) के सधीन को गई है, तब उस पर धांगे संदेय व्यात्र का संदाय करने से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक उस पर नवीकरण के लिए रमीद नहीं लिख दी जानी है मोर बातरब में उसका नवीकरण नहीं कर दियां जाना है।

17. किसी मूल एकमाज धारक के बंधपन्न पर किस स्वक्ति के हक को मान्यता दी जा गर्कगे ---(1) किसी बंधपन्न के मूल एकमाल धारक (धार यह दिन्दू, मुग्लिंग, पारसी हो या कोई प्रत्य) के निष्पावक या प्रणागक था भारतीय उत्तराधिकार मधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के सधीन उस बंधपन्न की बाबल जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपन्न का धारक ही ऐसे क्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपन्न का हकदार होने की बिहित मधिकारी के किन्हीं माधारण या बिणेप घनटेलों के मधीन रहते हुए भाग्यता दी जा सकेगी।

(2) भारतीय संविदा प्रधितियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, दो या प्रधिक धारकों के ताम जारी दिए गए विश्व किए गए या संदेय प्रभितिधांरित बंधपत्र के मामले में एकमारा उत्तरअधि या एक से प्रधिक उत्तरअधि मौर प्रतिम उतरजीवी की मन्यू के पञ्चात उसके निष्पादक, प्रणासक या प्रत्य तोई व्यक्ति होगा जिसे निर्मात उत्तराधिकार प्रमाणभव का धारक है, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्मात कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होते की (विहित प्रधितारी के किन्ही साधारण या विशेष प्रनुदेशों के प्रधीन रहते हुए) मान्यता दी जा गरेगी।

(3) निर्भमन कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देन के निम् तब तक बाब्य नहीं होगा जब तक उन्होंने पथास्थिति, भारत में किसी मंतन राधालय या कार्यालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त नहीं किया है।

(4) उप विनियम (1), (2) मौर (3) में विहित किसी बात के होते हुए भी, जहा विहित प्रधिकारी मपने पूर्ण विवेक में किसी मामले में ठीक ममझना है बहा, प्रावेट या प्रणासन पत्रों या विधिक प्रतिनिधित्व पत्रों का, धनिपुनि के ऐसे निवंधनों पर या मन्यथा, जो वह ठीक समझे, पंत्र थिए जाने में प्रनियोवन देना उसके लिए विधिपूर्ण होगा।

18 नागनियंगग ---(1) विनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी जहा कोई प्रथपत्र एक या मधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता 2 बहा यथास्थिति एकमाक्ष धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति या 1675/ व्यक्तियों को ताननिर्देणित कर मकते हैं जिन्हें, एकमान्न धारक की मृत्यु था गर्ना धारकों की मृत्यु की दगा में बंधपन्न पर गोध्य रकम का मदाय किया जा सरेगा।

परन्तु अब कोई घटपत्र दो या घछिक व्यक्तियों इतरा धारण किया आला हे तब नामनियोंशनी सभी धार्यनें की मृत्यु पर ही रवन्म पाने का राजार जनान

गन्सु यह कार कि इस विसिथम को कोई बात किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी की प्रानंत पर शोध्य किसी रकम की बाबल किसी वंधपव हे नन धारक के सिंग प्रतितिधि का हो । (2) यदि उप विनियम (1) के प्रधील दो या मधिक ध्वथित नाम-तिर्देणित किए जाले हैं तो बंधपत पर छोध्य रकम नामनिर्देणिनियों में तापनिर्देणन में विनिदिष्ट रीति में धिनस्ति की जाएगी, मौर ऐसे नाम निर्देशन के प्रभाव में रूक्षम सभी नामनिर्देणिनियों में बरायर विनरित की जाएगी।

परन्तु यदि कोई नामनिर्देणन विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देणन णोध्य रक्तभ के केयल एक भाग के मंबंध में है तो संपूर्ण रकम का या उसके उस भाग का क्रियमें नामनिर्देणन मंबंधित नहीं है. संदाय विनियम 17 के उपविनियम (2) के प्रधान उसके इतन्दार व्यक्तियों को किया जाएगा।

(3) उप विनियम (1) के प्रधीन कोई नामनिर्देणन, यथास्थिति एक मात्र धारक या सभी धारकों द्वारा गिलकर प्ररुप XV में किया जा सकेगा।

(4) ऐसे बंधपन्न की बाबत ही नामनिर्वेणन किया जा सकेगा जो धारक की वैयक्तिक हैसियत में धारित है, घीर किसी गद के धारक के रूप में किगी प्रतिनिधिक हैमियत में या घन्यथा नहीं किया जा गर्कगा।

(5) जहां नामनिर्देशिती मवयस्क है, बहां यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति को (जो मययस्क तहीं है) नामनिर्देशिती की मवयस्कता के बीरान बंधात्र पर मोध्य रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे।

(6) जहां कोई बंधपक किसी प्रवयस्क के नाम में धारित है, वहां नामनिर्वेशन यदि कोई हो, सवयस्क की मोर से कार्य करने के लिए विधि पूर्ण रूप से हकदार किसी क्यकित डारा किया जाएगा।

(7) कोई नामनिर्वेजन भारतीय लघु उग्रोग विकास बैंक को थंधपत्र के साथ प्ररूप XV में कोई प्रावेदन प्रस्तुन करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा या प्ररूप XVI में कोई प्रावेदन प्रस्तुन करके रद्द किया जा सकेंगा।

(४) कोई नामनिर्देशन या फिसी नामनिर्देशन का कोई प्रतिस्थापन या रद्करण लघु उद्योग चैंक की बहियों में रजिस्ट्रीइन्त किया जाएगा झौर रजिस्ट्रकरण का तथ्य बंधपत्न पर लिखा जाएगा झौर ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर, ब्रथ्नास्थिति, उक्त नामनिर्देशन, रद्करण या प्रतिस्थापन जस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको यह प्रस्तुत किया गयाथा।

(9) इस बिनियम के मधीन सम्पक रूप, में किए गए मौर रजिस्ट्री-इत किए गए किसी नाभनिर्देशन के मधीन बंधपत्न के संबंध में उन मधिकारों पर जो किसो नामनिर्देशिती ने मजित किए हैं, बंधपत्न की मनलिपि के जारी किए जाने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा मौर नामनिर्दे शिती को बंधपत्न की मनुलिपि के संबंध में वहीं मधिकार होंगे जो उमके मल बंधपत्न के संबंध में थे।

19. नवीकरण प्रादि के लिए रसीद :--(1) विहित प्रधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष प्रनुदेशों के प्रधीत रहते हुए, धारक के प्रावेदन पर निर्गमन कार्यालय प्रपते प्रादेश से--!

- (क) धारक द्वारा बचनपत्र या बचनपत्रों के रूप में बंधपत्न या बंधपत्नों के परिदत कर दिए जाने पर प्रोर प्रपने दाने के प्रोचित्य के संबंध में निर्गमत कार्यालय का समाधान कर देने पर, बचनपत्र या बचनपत्नों का न्वीकरण, उप विभाजन या समेकन कर सकेगा, परन्तु यह नव जब कि बचनपत्र या बचनपत्नों पर, यथास्थिति, प्ररूप I, II या I/I में रसीद लिख दी गई है, या
- (ख) वचनपत्र या यचनपत्रों को स्टाइन प्रमाणपत्र या स्ट्राइन प्रमाण-पत्नों में संपरिवर्तित कर सकेगा परन्तु यह नव जब कि वचनपत्र

या बचनपत्रो पर तिस्ततिवित पृष्टांकित कर दिया गया है:---''भारतीय लगु उद्यान विकास बेक को संदाय करें'' या

THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY

[PART III- SEC. 1]

- (ग) रेटाक प्रमाण पत्र था स्टाक प्रमाणवल्लों का गर्वाकरण, उब-विभाजन या समेकन कर सकेगा परंतु यह सत्र जब कि स्टाक प्रमाणपत्र था ग्टाह प्रमाणगनों पर, थवास्थिति, प्रेष्टम VI, VII था VIII व वर्माद जिया दी गई है, या
- (इ.) एक अध्यता के बंधपतों को दूसरों श्रृंखता के बंधपतों में , संपरिवर्तित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि
 - (i) श्रंखनामां का परस्पर संपरिवर्तन अन्त्रेय है, मार
 - (ii) ऐसे संगण्डितन को गासित करने बालो गतीका पालत -किया गया है।

(2) तिर्गमन कार्यालय विहित प्रधिकारों के मादेशों के मधीन उप-बिनियम (1) के मधान किसी बंधपत्र का नवीकरण, उप-बिनाजन या ममेकन करने के लिए. प्रावेदक से, बिहित प्रधिकारों द्वारा प्रनुमोदित एक या प्रधिक प्रतिभुवों महित प्रका IV में क्षति (ति निष्दादित करने को मरोका कर गरीया।

20 हरु के मंदेव में स्थित हो रता में दंघात का नवोकरण :---बहां किसी वंधात के हरु के संदेव में, जिसके नवीकरण के निए कोई पावेदन किया गरा ह, कोई विराद है वहां दिहिन प्रधिन्न रो:

- (गः) जहां दिवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम प्रधिकारिता बाते किसी न्यायातव से ऐने बंग्रपत का हकदार होने का प्रतिम थिनिस्चय प्रभियाल्त कर दिया है बहां ऐसे पक्षकार के पक्ष मे नवीइन्ज यंभपत नियंभित कर सकेगा, या
- (ला) जब तक ऐमा विनियमय अभिप्राप्त गही कर लिया जाता है भागर गंधाव का नगारुरग करने में इंगार कर सकेगा।

मार्ट्राकरण .

रा थिशितन के प्रताबनों के निए "मंतिम निर्णय" पद से ऐसा वितिरनत प्रतिरेत है जो मर्पालीय नहीं है या जो , फगोलंग्य है किनु किन्दों दिस्ट विधि डारा मनुझान परिसं,मा मयबि के भीनर कोई मर्पाल नहीं की गई है।

21. नवीकृत बध्यत्र के संबंध में दायिश्व मादि:--जद किसी व्यक्ति के पक्ष में वितियम 11 के मधीन बंघपत्र की मनुलिपि जारो कर दो नई है था अवंद्यत बंधपत्र निर्गमित कर दिया गया है या वितिता 19 के मधीन उप-विभाजन था सुमेकन होने पर नया बंधपत्र निर्गभित कर दिया

प्रहम [[विनियम 19(1) (क) देख

बचनपत के रूप में बंधपत के नवीकरण के लिए पृष्ठांगत का प्ररूप

पनुमूर्वा

इसके बदने भाग्नीय तथु उद	सेग विकास वैक गिर्ट कराज गढिर	
संदेय नवीकृत वचनपत्र प्राप्त किया।	(म्यान)	(धारक को नाम)
धारक के/	के सम्प्रक रूप से प्राविहन प्रतिनिधि हे हम्यावरत	4
- i - (धाः		and the second second
द क् म II [दिनियम । ५ (।) (क) देखें		
व रतपत्र के सामें बंधपत के	उप-विभावन के निज़ एक का हता र	and the second se
इसके बदने में भारतीय तथु	उगोग विकास ये है महित उारा महेय दरा व महित	
	(स्थान)	(11:5 56 3) 1)
Ap+(2)		
धारकः कः/	के समागः का में प्राविहा प्रतिनिधि के हम्ताता।	
	का ताम)	a "r

गयाहेतन इस प्रकार निर्गमित संधपत के बारे में रामसा चाएगा कि यह सपु उथोग बैंक मौर ऐसे स्वलित मीर ललान्वासुचसकी मार्कत हुक प्राध्न करने याने सती ज्यतित्यों के बीच एक मया करार पठित करता है।

32 उस्मोलन :---- तपु उतोग दें।, गरिगारा। गर गरने उस बंध गय या उन बंधपतों को यावन या जिसके/जिनके स्वास पंर बसुनिंगि, सर्वोइन्त, उप-बिभाजित या समेकित बंधपत्र निर्गमित किया गया है / फिए गए हैं---

- (क) संवाथ की दला में उस नारीक्ष में गार वर्ष गीन जाने के परवान, जिसको संवाय, शोध्य था,
- (गर) मनुसिधि पंतरत, की दमा में बिति मि 13 के प्रधोन उत सूची के, जितमें बंधात का पहनां बार उल्लेश प्रकाशन की तारीख से, या बितियम 11 में उक्लिभित मूल बंधपत पर क्याज के संदाय की सारीख से, बार बर्ग, योत जाने के परवात् जो भी तारीख याद की हो।
- (ग) नवीइन्त बंधपत्र मा उप-विभाजन था समेकन होने पर तिर्गमित किए गए बंधपत की देशा में, उसके निर्गमन को तारीख से बार बर्भ बोत जाने के परवानु उग्मोधित हो जाएगा।

23. ब्याज की बादत उन्मोदन :---बंघपत के निबंधनों में यथा, प्रत्यथा मनिय्यन रूप से उपबंधित के सिवाए कोई' भी क्यकित किती ऐसे बंधपत्र पर किसी मदध को बाबत, भो उन पूर्वास तारीक्ष के पहचात् वोन गई है, जिसको ऐसे बंघपता.पर मोध्य, रहन के संदाय के लिए मांग की जा सकती थो, ब्याज का दावा करने गा हकतार तहीं होगा।

- 24. बंबपत्र का उग्नोबन :--- (क) वा प्रताग पा स्टाक प्रभाषपत्र के रूम में भारित कोई बंबपत्र मून के लंगान के लिए सोवंग हो जाता है तब वह सबु उद्योग बैंक के ऐने कार्यालय में विसमें उस पर स्थाज सोव है या त्रियेवन 'कार्यालय में. उसके पृष्ठ पर धारक डारा सन्ग्रह कन से इस्ताभर करके, प्रस्तुन किया जाएगा ।
- (ख) मब खाते में किसी प्रबिध्टि के भग में कोई बंबपत्र मृत के संदाय के लिए गोब्द हो जाता है तर प्रक्ल XIV में सम्पर् कप से हमाअरिन रंसीद पारक द्वारा िर्धना कार्याला को दो जाएगी।

25. सब उद्योग बैंग की मोर से मक्तियों का प्रयोग:-- तबु उव़ोंग बैंग डारा विनियम 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) मीर 8(1) के मधोन प्रयोक्तम्य मक्तियों का लगु उद्योग वैंग की मोर से प्रयोम लघु उद्योग बैंग के प्रवंध निरेतन मीर उरागे मंदुरियनि में कार्य-यालक निवेजक मोर या महा प्रवंजन डारा हिराजा रोगा।

24 •

	а А.		
[भाग III खण्ड 4]		भारत का राजपन्नः प्रसाधारण	25
रन्त III [विलियम 19	o(1)(र्क) देखें]		,
वचनगव के हव	में बंधात्रों के समेकन के लिए पृथ्ठांकन का प्रम	21	
	भारतीय तयु उद्योग विहास बेंक	गरा मरेग व्यात महिर (इन	के माथ नमेकित किए जाते के लिए घोछित
	(स्पान)		
मम्म वचनल्य (गवा) व माम मोतूर करन	⊓/के संकर्पाक भ्रीर रकम (रकमों) का उल्तेख क 	रो हुएसवा शिंगमा को विनिदिन्द करा हुए) 	דזווז זו זוות אפעותה איז אלה הזו אפעותה
חוש משואה בוכו		(धारक का नाम)	
		,	*
धारमः यः/	केस (धारकेका नाम)	यह्र रूप से प्राविहन प्रातानांच के हस्तासर ।	
प्रकृप IV [धिनियम 19	(2) रेवें]		
यह सद को जात	हो कि हमगा	পীফ	। दुव घोर
	(मुडप बंधात धारक का नाम)		
त पोर	(प्रतिमू सं. 1)	r frañ b an	
			(man i a)
गे थी		का पूत्र भोर	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
"ठका लघु उग्रोग चेंह" पारद करते हैं।	गरतोय लयु उद्योग किंग्स केक मबिनियम, 1 कग़ गरा है) उाके घटनियों, उत्तरवर्तियों म	मौर समनुरेशिनियों को	रगए की राणि के संवाय के लिए
मीर मैं/हवते से	प्रश्वेक		लगु उग्रोग बेंक के साथ प्रसंबिदा करता
तो यह उनः। लगु उधोत उत्तको मनाधारण मून सि उक्त	ाऽग्ता या इतके नोवे निश्चित झतं के संबंग में ' वैंक को प्रेरणा पर ऐने वाद में चाहे कोई प्रो । दिल प्रधिकारिता में लश्वनऊ/सुंबई में विवारण ह 	वक्षकार क्यों न हो, उक्त उक्त ग्रायालयों में मे तथा मनधारण किया जाएगा।	किसो को भेत्र दिया जाएगा भौ र उसका/
	(मुत्य बधपत्न घारक का नाम) रण/पमेकन/उर-विसाजन के लिए मावेरन किरा है	(I	žt
- 175.	उद्योग तैंक उक्त		प्रतिनुयों महित इसके नोचे लिखित गर्न
हें मतंत्र रहरे	(मुक्य बंघपत घारक) हुए उका बंघपत करने और निज्यादिन करने	तर जन्म गालेका को इन्देनार करने के लिय	माम सी मनम हो मय. हे
+· *			
भीर जार पानः			के मनुरोध पर द धारफ)
	(यातमू/प्रातमुधा का/क नाम) .	(मुख्य प्रथा) जिन प्रसिद्ध कोर जन्द बंजान निराहित क	TÀ ở 3/1
(मुख्य के गाथ मम्मिनित होते	(प्रतियू/प्रतिसुंघों का/के नाम) के वंधपत्र घारक) के लिए सहमत हो गया है/हो गए हैं।		(मुनय देवपद दारफ)
जग्ग तंत्रात्र को	गर्ने यह है कि यदि उस्त पावड		या उनमें से प्रभ्यक क
1	(मुम्प बंधपत ।	धारक) (प्रतिभू)	विभुषां ना/के नाम)
उनके बारित, निष्वादण	, प्रशासक या प्रतिनिधि या उनवें से कोई या	प्रायेक, इनका प्रनुपूर्वियों में उल्लिति उक	त लवु उग्रोग बैंक तारा निर्गमिन वंध ण
	किंगो ब्याज का हहवार होने का राजा करने		
	ग्यक्तियों के, चाहे कोई भी हों. दावों ग्रीर मांगों से ऐसे दावे या गांग के तिए था उसके परिणायक		
	तितों) परणोध्य किता व्याज के संतान के कारण		
गर गीर उसके परंश.म्	सता सनयों पर प्रत्या का ले व वार्षी, उस ह। पूर्णतना प्रकृत और प्रतादणन्त्र रहेगा।		
	वंधाय झारक का नाग) 	त्र्योस्थति में प्रान्तवार जिन सीर परिवान कि	11
तारीय	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second sec	
2840 GI/90-4		-	*
and and and a second			
+			

....

.

a.

,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART 111-SEC. 4]

	इसमे गिरिष्ट मनुगुलो			
यंबपत की प्रहा मौर वर्णन	मंहरोर	·,	निर्वेषत नहरोष	रकम
NRY V [iales	×			
धनरण का प्र	1			
Ĥ/#1		रा		a
	(धारम मा/धारमा क नाम)			
দ্যাক বা হল না	न को रतनाहे. जैना इस लिखन के मुर्ग पर जिलिदिष्ट है,		तीय लचु उग्रोग किसम	น้ำ: น่วงส
पंत्रविधित स्टान	में तथा/ वारा हित या गेपर पन पर प्रांश्भूत कराज	761	•	(वर्ष) प्रतोगरंह निर्ण
		(यत्तरता/ मं तर्रात्रवा	玉(+(11)	
भगवाना मालगुः	्राजियों को सबुनुदेशित मौर घंदरित करता हं/ तरते हैं	मोर मै/हन		
पनरित स्टाक व	े उन मोमा तक निर्बाध रूप से म्यीकार करता टूं/करते	(धारक का) है जिस सामा तर चढ़ मझे	धारही के नाम) इसे अन्दिन किंग कर	• :
		04		
•मे/हम-	(1) 22 2 (1) 21 2	रा मनुरोध करतः हं/करते हैं	कि गुने/हमें दभके हारा	वारिंग स्टाक के धारक/
	(भारक का/ उारकों के नाम) - रशि-होहार किए जाने पर उन्त स्टाक प्रमाणक्त्र उस सं - जावन्य			
इ त/संवरिवनित ह	बना हण्य	पत्र प्रभूतिक माम्युतक व	र गुन्त/हम भ ारत किया	गताह मर/द्वार नाम म
? it/Eu	(गार क कर/पारणों के जना)	ारा भनुरोध करता हं/करने	है कि उस्त घंडरिने। ((बंगरितियों) को इनके बा
		а — Кі		
	a to taxante discussion at the second second			
बन्ह मनारत ग्या भारो किया एका ह	र र धारक (धार में) के एव में रजिस्ट्रोइन किए जाने	पर उत्त स्टाक प्रताणगत्न		
	र रे धारक (धारकों) के रूप में रजिस्ट्रोइन किए जाने हे पेरे/त्यारे साम में नवीइटल किया जाए।		उन सोगा तक जिन	मीना तक वह उसे/उन्हें क
	र रे धारक (धारकों) के रूप में रजिस्ट्रोइन किए जाने हे पेरे/त्यारे साम में नवीइटल किया जाए।		उन सोगा तक जिन	मीजा लक वह उसे/उन्हें ब
ि गरे-सादय ज	रुरे धारक (धारकों) के खर में रजिस्ट्रोइन किए जाने १ में?∫इमारे साम में नवीइछ्ल किया जाए। २० म		उन सोगा तक जिन	मीजा लक वह उसे/उन्हें ब
स्विके साध्य ज	र रे धारक (धारकों) के रूप में रजिस्ट्रोइन किए जाने हे पेरे/त्यारे साम में नवीइटल किया जाए।		. उन सोगा तक किन गरिवनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
रगरे साध्य ज	रु रे धारक (धारकों) के कर में रजिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/स्मारे साम में नवीइक्ष किया जाए। २५ म		. उन सोगा तक किन गरिवनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
(กรั กเรน -	रु रे धारक (धारकों) के कर में रजिस्ट्रोइन किए जाने १ में?/हमारे साम में नवाइल किया जाए। भव स्वा भव स्वा भव स्वा प्रार्थित स्वरक ने हस्वाक्षर सि (पार्राध्य)		. उन सोगा तक किन गरिवनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे- साध्य ज 	ह रे धारक (धारकों) के कद में रजिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/स्मारे साम में नवाइस्त किया जाए। २० स		. उन सोगा तक किन गरिवनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे साध्य ज मंतरक	ह रे धारक (धारकों) के कद में रजिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/स्मारे साम में नवाइस्त किया जाए। २० स		. उन सोगा तक किन गरिवनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे- तादय ज मंतरक ऽता (अनरिनो)	ह रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/हमारे साम में नवीइल किया जाए। २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ सित मेंगरक ने हुस्सक्षर दि (पार्राप्य)	फी उ	उन सोगा तक जिन गरियनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे- तादय ज मंतरक ऽता (अनरिनो)	ह रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/हमारे साम में नवीइल किया जाए। २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ सित मेंगरक ने हुस्सक्षर दि (पार्राप्य)	फी उ	उन सोगा तक जिन गरियनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे-साध्य ज भंतरक	रु रे धारगः (धारगों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/हमारे साम में नवीइल किया जाए। भग स्		उन सोगा तक जिन गरियनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे-साध्य ज भंतरक (अंतरिनी) प्रना उपन प्रन *इस पेरा	ह रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/हमारे साम में नवीइल किया जाए। २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ स २१ सित मेंगरक ने हुस्सक्षर दि (पार्राप्य)		उन सोगा तक जिन गरियनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे- साध्य ज भंतरक- प्रता	रु रे धारक (धारकों) के क्रय में रतिस्ट्रोइन किए जाने ३ मेंगे/इमारे साम में नवीइख किया जाए। २० म		उन सोगा तक जिन गरियनि में	मोना तक वह उसे/उन्हें। ; के
दगरे- साध्य ज भंतरक	रु रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने १ मेंगे/हमारे साम में नवीइक्ष किया जाए। २० म २० म २० म २० म २० म २० म २० म २० म		उन सोगा तक जिन गरियनि में	मीना तक वह उसे/उन्हेंड ; के
दगरे- तादय ज भंतरक (अंतरिनी) उपता प्रत *दम पेरा के साथी के दकप VI [विनिय स्टाक प्रम	ह रे धारक (धारकों) के कर में रतिस्ट्रोइन किए जाने भगे (स्परे साम में नवीइ किया जाए। भग स 		उन सोगा तक जिन गिंपनि में	मोना लग्न वह उते/७-हें व
दगरे- तादय ज भंतरक (अनोरनो) प्रना प्रना प्रना प्रन *इस परा किस्प VI [विनिय स्टाक प्रम	रु रे धारगः (धारगों) के कद में रतिस्ट्रोइन तिए जाने भेगे/हमारे साम में नवीइन्त किया जाए। भग स 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उते/उन्हें व
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने में मेंगे/त्मारे साम में नवीइत किया जाए। भग स 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उसे/उन्हें व
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के रूप में रतिस्ट्रोइन किए जाने भेगे/हमारे भाम में नवीइक किया जाए। भग म भा म (पार्राण) 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उसे/उन्हें व
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के कद में रतिस्ट्रोइन किए जाने में मेंगे/त्मारे साम में नवीइत किया जाए। भग स 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उते/उन्हें ब
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के रूप में रतिस्ट्रोइन किए जाने भेगे/हमारे भाम में नवीइक किया जाए। भग म भा म (पार्राण) 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उसे/उन्हें व
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के रूप में रतिस्ट्रोइन किए जाने भेगे/हमारे भाम में नवीइक किया जाए। भग म भा म (पार्राण) 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उते/उन्हें ब
दगरे- साध्य ज भंतरक इता उवन प्रत प्रेस पेरा * साधी के इरूप VI [विनिय स्टाक प्रम इसके व मारसीय सम् उध	र रे धारक (धारकों) के रूप में रतिस्ट्रोइन किए जाने भेगे/हमारे भाम में नवीइक किया जाए। भग म भा म (पार्राण) 		उन सोगा तक जिन गिर्वान में	मोना लग वह उसे/उन्हें ब

26 -

[win IIIeros i]		भारत का राजपनः मनाधारण	. 27
पर्य VII [विकित्म 19((ग) देखें] 	17.18	
स्टामः अन्ताणात्त्र के	उन्दिनाहन के लिए पृष्टां रुन का प्ररूप		5.
रम स्टाह प्रमाण		t asd #	
শাংৱীৰ পৰু ভঞ্জা বিদা	। येग वं.।रत्र		रगए के प्रमाणपत्र प्राप्त कि
किन पर व्यात नार्त्ताय लव	र उधाग विकास देक		रा संदेय होगा।
	(स्थान)		1
	١	रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्पन् स	न से प्राधिइन्त
		प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	a 1 A
			- 7
		(रजिस्ट्रो ह	त घारक का नाम)
प्रस्थ VIII [(4निय	न । ୬ (1) (ग) देखें]		· .
€ड(नः प्र⊣ाण	पत्रों के समेकन के लिने पुष्ठांकत का प्ररूग	×	
			k
	स्टाक प्रमागपत सं	• (वर्ष) प्रतिगत भारतीय	लपु उधोग विकास बैक बंधपल
		*	(रजिस्ट्रीइत धारक का नाम)
and IX Ifalian	।⊎(।)(प) देखें]		(राग्स्ट्राइन धारक का नाम)
	भग्रां को वजनस्त्रों में संपरिवर्तन के लिये पृष्टा	किन का प्रक्रम	
	त कं प्रदेशे में प्रति यवत्रश्तन		
सरेय हांगा ।	ग्वे) एक लगा स्टाक प्रमाणगत प्राप्त किंवा ।	जिसका ब्याज भारतीय लब् उद्योग	विकास वैक,डाव (स्पान)
and drawn		· · · ·	
		·	नस्ट्रीकृत धारक/सम्यंक् रूप से ' प्राधिकृत
			प्रतिनिधि के हस्तालर
	. 6.4		
			(रजिस्ट्रोकृत घारक का नाम)
REI X Iafaan	5(2)(च)(3) देखें]		1
AND DESCRIPTION OF A DE	व के रूग में निगेनित येथात्र के नंगेकरण की	रतोद का प्रदा	1 - 1 - 1
इसमेः बदने मे			वेप्रतिवत भारतीय
	ग्र,का एक नवीह	त स्टाक प्रमाणपत प्राप्त किया, जि	त पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास
1	(बर्ष) ढारा संदेव होगा ।		1. 1. 1. 1. 1. 1.
(स्थान)		<i>x</i>	
No. Landar			
		~	(रगिस्ट्रीहर घारक के हस्ताभर)
			(and a second sec
	*		1

4

LERISA

ŧ

[PART III-SEC. 4]

तारीय-

प्रकृप XI [चिनियम 3(3क) (ग) देखें]

बचनपत्र के रूप में बंघपत को लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रबिध्टि में संपरिवर्तित करने के लिये प्रध्यपेक्षा

सेवा में,

11

28

प्रदेधक, बंधपत्र प्रनुभाग, भारतीय लधुउद्योग विकास बेंक, मम्बई/लखनऊ

महोदय,

ALL

67.

हम पोथित करते हैं कि बचनपत (बचनपतों) के रूप में निगैमित कुल------घपये 'के प्रकित मूल्य के मारतीय लेचु उद्योग विफास बैरू बंधपत जो इसके पीछे सूचीबढ़ किये गये हैं हमारी संपत्ति हैं प्रौर पनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक हारा रखे जाने पाले खाते में हमारे नाम में प्रतिष्टि के रूप में उन्हें धारण करने के लिरे हमें पनुवात किया जाए जिसके लिये हम इसके साथ लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्पर्क रूप से पुरुठांकित सुसंगत बंधपत स्किम प्रम्यॉपत करते हैं । उत ज्यवित का/उन ज्यवित्रयों के नाम, पदनाम प्रौर नभुना हस्ताक्षेर, जिसे/जिन्हें जाता संचालित करने के लिये प्राधिकत किया गया है, इसके पीछे दिये गये हैं।

रस संबंध में हम सम्यक् रूप से स्टांपित मीर मापको प्रारूप के मनुसार निष्पादित किया गया मापके पक्ष में अतिपूर्ति दिलेद इसके साम भेज रहे हैं।

हुम पापसे यह अनुरोध करते हैं कि लघु उदांग बैंक में खाते के रूग में बंबातों के धारण का प्रमाणपत प्रोर हुमारी घुति का कालिक विवरण ऊपर दिये यये पते पर सम्पक् प्रमुकम में भेज दिया करें।

छपया इस पत्न की पाबती हैं।

भववीय

र्णजस्ट्रीइत धारफ (धारफों)/या उसके सम्यक् रूप हे प्राधिइत प्रतिनिधि के इस्ताभर ------

Ŧ.

. रजिस्ट्राइत बारक का/धारकों के नाम-

1.1.2

इसके साप पेने गये, बंघपत . स्क्रियों की सूची

नीचे कथित धंकित मूल्य (मूल्यों) 'में बचनपत

बंधपत्न स्त्रियों	का कुल संकित	लिये बंघपत्र स्किन सं मूल्य	स्पये		-(
1						×.
· ·			2010	12		- -
••••••			-			6 6
टेलीफोन						2

[HITIII-- 206 4]

Manager and a state of a

भारतका दात्रपत्र : मताधारण

प्रसा XII [जिलियम 3(3क)(8) देखें]

लनु उद्यान हि में खाते ने प्रसिटि के भग में धारेत रात्रों के बरने में बाता किंग तत्रां करने के तिवे प्रश्नाता।

सेवा में,

प्रबंधात, बंधाल प्रतुतात. भारतत्व लव् उद्यांग बिनात यंक मुम्बई/नेधनक

महोदव,

हम भारतीत लघु उद्योग निकात बैंक में रभे गये खाते में प्रबिधिट के कर में हुनारे ढारा धारित बंबाजी को प्राना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ढाग जारों किया गया धृति प्रमाणपत्र इसके साथ मेज रहे हैं।

हमारा रहते है कि हमारी बंघात घुलियों को लोखे दिये गये स्वीरों के मनुसार ववनपत्नों) के रूप में संपरिवर्तित सौर संतरित कर दिया जाये ।

हुगारा प्रश्तोग है कि इस संबंध में बंधपत सिका उन बंधपतों को, जो भारताय लगु उम्रोग विकास रेंक में रखे कर खाते में प्रविधिट के कर में ग्रारिंग रहे तर रहे, मतिगेव रहम क्रा/को बाबत तावा घृति प्रमाणपत्र सहित हमारे ऊरर विये हुए पते पर रजिस्ट्री डाक ढारा हमें मेंग्रे जामें ।

क्रमचा हैं। पत को पावती दें।

भवरीय

रजिस्ट्रीकत धारक (धारकों) या उस के सम्यक् रूप से प्राधिकत प्रतिनिधि के इस्ताक्षर

र्रावस्ट्रीइत धारक/धारकों के नाम----

कुल बंकित गुल्य

1.

विद्यमान ध्ति प्रमाणपतों के ग्यौरे और वयनपत्नों की ग्रपेक्षा

1.	धृति	प्रत.ण पत्र	4.	तारीख	646	(भ्रवता)
2.	ध्ति	प्रमाणदञ्च	सं .	वारीख		· · ··································
Э.	धुति	प्रम:णपत्र	 .		840	(
	ৰ্যয	पन्नों वा	ल. म	iकित मूल्य हपए है f	अगके जिम जीने करिक नेर्द	(

करें।

संहया

(1) प्रत्येकः 1,000 हपए का

पंचित्र भू च

(2) प्रत्येक 10,000 इपए का

हमारा मनुरोध है कि बंधावों की मतिशेष रकम भारतीय लघु उन्दोग विकास बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रहने दी जाए।

प्रकप XIII [बिनियम ३ (३क) (छ) देखें]

लपु उचोग बैक में छीठे में प्रविष्टि के बप में बंधपत्रों के मन्तरण का प्ररूप

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

And the second state of the se

हम जरा बजनती के हमारे नाम को मंगरण निर्वाध रूप से स्वीकार करते हैं। ा को सार्था के स्व में हम हरताझर करते है। VID - -

दिलाणाः (प्रा मेन को कियो यह लिपादित किया जागु स्वानीय स्टाम्न प्रविनियम द्वारा यवासंघोषित) जारसंख स्टाम्न मजिनियम, १४७७ के अन्यतेन Set (if) I sate that they mutil) i

मस्प XIV [1401-8 14 (1) देवे]

सम् उद्यान धेक में जाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्नों के उत्मोचन के प्ररूप

सेवामे .

30

\$ 14:

AUGE ALTON

भारतीय पर्य प्रयोग विकास बैक,

HELLINGS

महादव,

----- इपए (------ इपए) के मनिहित मंगित मुल्य के उपर्युव। बंधफल (बंधपद्यों) पर परि-पकडता की नारीय की मोद्नूत काज सहित मूल रकम प्राप्त की। यह प्रमाणित किया जाता है कि बंधपत्र (बंधपत्रों) की मातिहत रकम मोर परिपक्षता की तारीज लया प्रोर्गुत म्याज को रकम मेरी/हमारी बहियों से मेल खाती है।

> रजिस्ट्रीइन्त धारक (धारकों) या उसके सम्पन रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताधार

भवदीय,

रजिस्ट्रीइत धारक का/धारको के

नाम -----_____

สาร์เส ------

प्रस्प XV (ग्रिनितन 18 देखे)

नामनिरेंगन् नामनिर्देशन के प्रतित्यापन का प्रबंध

1 4/84 -----

(धारक का/धारपां के नाम)

निर्देशित करता है/करते हैं जिसे/जिन्हें मेरी/हमारी अवयस्क धारक की मुत्यु की देशा में जीवे विनिदिष्ट बंधपकों पर गोध्य रकम का संदाय किया आए :

बंधपत कम सं 4011 गभिन्न संदर्धांक मंदित म्ल्य निगमन तारीख 1. . 3.

and the state of the			ศ เน नि देशित			
2 • 20 • 15 व. प्राथविद्यांका स्वयन्त के साम के स्वाप्त के से/इसार्ग/बवरक अपन की सुन्दू ही आने की साम के प्रायंत्र कर सोटव फ्या साम का सिंह स्वय का साम के प्रायंत्र के साम के प्रायंत्र के साम के प्रायंत्र के साम के स्वाप्त के साम के प्रायंत्र के साम के स्वाप्त के साम के साम के साम के साम के स्वाप्त के साम साम के	गाम गाम		431	जन्म सिथि (यदि भवमरक है)	ं नाम निर्देशिती	संदेध रकम का प्रक्रिक
2 2. 201 14 त. प्रा मार्गतियोग (मार्गतियोगिवा) की प्रयाग कर के रागत के दे/हागि/वरणक प्रायग की मृत्यु हो गांगे की वा में उन्योगिव पर तो कर प्राय प्रायग ते मार्गतियोग के प्रायगिव कि प्रायग है का के दे/हाग के दे/हागि/वरणक प्रायग की मृत्यु हो गांगे की प्रायग कि उन्य के स्वा जी मार्ग 1. **	1.					
2. 20 गा त	1. To 2.					
प्र. 20. भेग स						
 मिंग ना मैं दिनम में दिनम में दिनम होता मों गितह दूरा नागनियेगन के मलिम के मलिम के मलिम के सिम्म ना नागरेंग के सिम्म में भारतेंग में प्रतिह दूरा नागनियेगन के मलिम कर के के के के का स्वाय के साथ के स्वाय के स्वय के स्वाय के स्वाय के स्वाय के स्वय के स्वाय के स्वय के स्वाय के स्वय के स्वय के स्वाय के स्वय के	एस मामानदालन (नाग	भगवाणात्र मा) का भगपर गता	पर सामनिर्देकितं। के दोरान मेरी/हमारी/सबयक	मवयस्य है/हे. इस लिए में थें।	/शं.मर्न:/ ग्रमरो '	
भागित के साम के साथ के साम के मानि है को नामनिर्देशन का स्थानक के है जो का मानविर्दान के से सिंहान का स्थान का स्थान भागित के साम के साथ के नामनिर्देशियों के संदेव कुन रक्ष्य का प्रसितन की नहीं है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशियों की संदेव कुन रक्ष्य का प्रसितन की नहीं है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशियों की सबक के स्वा में नहीं है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशियों की सबक के स्वा में नहीं है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशियों की साथ के का नामनिर्देशन के प्रतिश्वन के मानिराज के स्वी है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशिय के का का स्वानक के प्रसितन के मही है। • का नेग का राष्ट दे अब नामनिर्देशिय के प्रकार के नाम में प्राप्ति है तो नामनिर्देशन करतरक को बोर के विद्युप्ते का में हत्यार कि नगीन इंगा हत्वातरित राता महिए। प्रस्त कर राष्ट (2) तरहों नामनिर्देशन का द्वा (2) तरहों नामनिर्देशन का प्रदूष्ट करों के किए प्रक्ष महिए	1** st 751	1 लेगन मेरे/हमारे ढारा		सार.खको किए गए मीर ।	भारतीय सघ उद्यो	। विकास बैंध को तहि
सारियों के जानवान की पर करने सार्वा : सार्वा : सार्व : सार्वा : सार्व : सार्वा : सार्वा : सार्वा : सार्वा : सार्वा : सार्वा : सार्व : सार् : : सार् : : सार् : : सार्व : सार् : : सार् : : सार् : : सार		দা ং নিজু -	हा नामनिर्देशन के प्रतिस्थः पत्र	न में है जो इस नामनिर्देशन दे	र रजिरद्रं फरण पर	. इ. हो जाएगा।
स्यान ॥ रेखः ॥ रेखः १ म्य मेग मंग मंगरेत मार्गनिर्दोषनां को भरेव हून रक्षम का जीवता होत करे। १ म्य मेंग मंग राट से प्रव नामनिर्देषन करेता का नामनिर्देषन के प्रतिस्वान मं नही है। १ म्य मंग को भाइ हे बच नामनिर्देषन पहुंत सिक प्रयत्न के प्रतिस्वान मं नही है। १ म्य मंग को भाइ से बच नामनिर्देषन पहुंत सिक प्रयत्न के प्रतिस्वान मं नही है। १ म्य परित्य । १ (२) रेखें] १ म्य प्रदेश को प्रदान करे पहुं होग मार्गनिर्देषन कर कर को सेर ने विविद्यं के मंग मुहारार क्रिक्त भावि होगा हानवारित स्वय XVI [[वीन-स १३ २२ करने के निम्म क्रम मे/हम मंग/स्वा कांग्रेजन को रद् करने के निम्म क्रम मे/हम मंग/स्वा कांग्रेजन को रद् करने के निम्म क्रम मंग/स्वा कांग्रेजन को रद् करने के निम्म क्रम मंग/स्वा कांग्रेजन को रद करने के निम्म क्रम मार्गनिर्देषन को इनके हरम रद करवा हं/करने है। स्वय सं का संवा कांग्रेज स्वान कांग्रेजन क्रम के पास के पानिक है तो नामनिर्देषन का स्वयत्वक की स्वरे हरम रद करवा हं/करने है। स्वान कांग कांग्रेज स्वान क्रम सं क्रम के प्राय के प्राय के प्राय के प्राय के विवित्र क्रम स्व क्रम के प्राय के प्राय के प्राय का क्रम क्रम के प्राय के क्रम क्रम के प्राय के क्रम के प्राय के क्रम के क्रम क्रम क्रम के प्राय के क्रम क्रम के के क्रम के क्रम के क्रम क					**** (817	क कें हरनाधार)
भारीषुः (இ रम सरा म प्रशेश नामनिर्दोत्तनों का भारेव कुन रक्षम का प्रतिगत कांग्रेत करें। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन कि तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन पे गिर प्रयास के नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा हार्गित का यह स्वत के नाम में प्राप्ति है तो नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा कि कांग रह करने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन (प्रारक्ष कांग्र) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रार्क्ष का रद्वागण सक्षात्म की गोर के विधियुने का में स्वराक्ष कांग्र) • राह वराक्षा - • स्वानित नियम आता है कि भारतीय संयोधिक कि मान्दी संयोधिक कि नाम के का के प्रारक्ष का प्रारक्ष के ना में प्रारक्ष का मांग कि कांग्र का में स्वराक्ष का स्वरात्म के कांग (प्रारक्ष) • पांत, एन, प्रायतात, प्रतन्म कि कांग्र के कि भारतीय संयोधिक कि मान के के के प्रारक्ष का का ना कि का प्रारक्ष कि का नाम के कांग्रिक कि मान के का के के का प्रारक्ष का के का प्रारक्ष का कि का प्रारक्ष) कि का नाम कि कांग्र के का का प्रारक्ष कि का प्रारक्ष का कि का का का का का का कि का का कांग्र के का का का कि का का का का कि का का का का कि का का का का का कि का नाम कि का का कि का का कि का का का कि का का का कि का	নাধাৰা ক রাগালন্য	प्रति पत				4
भारीषुः (இ रम सरा म प्रशेश नामनिर्दोत्तनों का भारेव कुन रक्षम का प्रतिगत कांग्रेत करें। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन कि तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन पे गिर प्रयास के नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा हार्गित का यह स्वत के नाम में प्राप्ति है तो नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा कि कांग रह करने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन (प्रारक्ष कांग्र) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रार्क्ष का रद्वागण सक्षात्म की गोर के विधियुने का में स्वराक्ष कांग्र) • राह वराक्षा - • स्वानित नियम आता है कि भारतीय संयोधिक कि मान्दी संयोधिक कि नाम के का के प्रारक्ष का प्रारक्ष के ना में प्रारक्ष का मांग कि कांग्र का में स्वराक्ष का स्वरात्म के कांग (प्रारक्ष) • पांत, एन, प्रायतात, प्रतन्म कि कांग्र के कि भारतीय संयोधिक कि मान के के के प्रारक्ष का का ना कि का प्रारक्ष कि का नाम के कांग्रिक कि मान के का के के का प्रारक्ष का के का प्रारक्ष का कि का प्रारक्ष) कि का नाम कि कांग्र के का का प्रारक्ष कि का प्रारक्ष का कि का का का का का का कि का का कांग्र के का का का कि का का का का कि का का का का कि का का का का का कि का नाम कि का का कि का का कि का का का कि का का का कि का						
भारीषुः (இ रम सरा म प्रशेश नामनिर्दोत्तनों का भारेव कुन रक्षम का प्रतिगत कांग्रेत करें। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन कि तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन पे गिर प्रयास के नहीं है। • रन पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पैग का बाट दे अब नामनिर्दतन के तिए प्रशु नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा हार्गित का यह स्वत के नाम में प्राप्ति है तो नामनिर्दतन के प्रतिदान में नहीं है। • रम पर्रा कि कांग रह करने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन प्राप्ति का यह स्वरने के लिए प्रहम मेहन (प्रारक्ष कांग्र) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग (प्रारक्ष) • रम सं: कांग के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्रार्क्ष का रद्वागण सक्षात्म की गोर के विधियुने का में स्वराक्ष कांग्र) • राह वराक्षा - • स्वानित नियम आता है कि भारतीय संयोधिक कि मान्दी संयोधिक कि नाम के का के प्रारक्ष का प्रारक्ष के ना में प्रारक्ष का मांग कि कांग्र का में स्वराक्ष का स्वरात्म के कांग (प्रारक्ष) • पांत, एन, प्रायतात, प्रतन्म कि कांग्र के कि भारतीय संयोधिक कि मान के के के प्रारक्ष का का ना कि का प्रारक्ष कि का नाम के कांग्रिक कि मान के का के के का प्रारक्ष का के का प्रारक्ष का कि का प्रारक्ष) कि का नाम कि कांग्र के का का प्रारक्ष कि का प्रारक्ष का कि का का का का का का कि का का कांग्र के का का का कि का का का का कि का का का का कि का का का का का कि का नाम कि का का कि का का कि का का का कि का का का कि का				+	271:	
 (1) दम सरा म प्रमोध नामनिर्दोणनों को सांस कुन रक्षम का प्रतिशत करिं। • इम पैम की काट दे अब नामनिर्देणन किर्ता प्रवयक के प्रसा में नहीं है। • इन पैम की काट दे अब नामनिर्देणन कहीं दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देणन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देशन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देशन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देशन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देशन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में नहीं है। • की काट दे अब नामनिर्देशन पहुंत दिए एए मलमिर्देशन कहींदियन में दर्श हो का में हारा हरनाताहित साम में प्रतिन्द के प्रदेश के तिए प्रक्ष अतम रही हो का का रह कहे हो का में प्रार्थ है तो नामनिर्देशन का दसरे का पर करता हं/करते है। में से? में से? का सा? का सा? का मा? का मा?<!--</td--><td></td><td>•</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td>		•		3		
• इस पैश से पाट थे प्रय नामलियों विश्वा प्रवार के पत में नही है। ••• सार का गांट दे उब नामनियोंन पहले किए सम्म में प्राप्ति है तो नामनियेंगन करवल को घोर से विश्विष्ठने का में हासरा कि स्वान गांवा हुनातारिन ••• सार का गांट दे उब नामनियेंगन पहले है तो नामनियेंगन करवल को घोर से विश्विष्ठने का में हासरा कि स्वान हासरा हुनातारिन स्वान प्राप्त प्राहित मामलियेंगन की रहू नरने के लिए प्रवय में/दूसारे द्वारा कि का रहू नरने के लिए प्रवय में/दूसारे द्वारा कि का प्राप्त की प्रह नरने के लिए प्रवय में/दूसारे द्वारा कि का प्राप्त के नाम) में/दूसारे द्वारा कि का प्राप्त का/धारकों के नाम) में/दूसारे द्वारा कि का का सार का सार का सार का सार का सार का सार का सार का सार का सार का सान का सार का सान का का प्राप्त के साम में प्रारिक है तो नामनियेंगन का प्राप्त का सामराक की फोर से विश्विष्ठने का से हफदान गांका हारा हुनातारि: का पान का प्राप्त का का का का का का का का के का प्राप्त के तो नामनियेंगन का प्राप्त का फोर से विश्विष्ठने का में हफदान गांका हराता? का पान का ता प्राप्त का पान का ना का का का का का माम के पान के पान है तो नामनियेंगन का प्राप्त का प्राप्त की की विश्वित का प्राप्त का का के से विश्विष्ठ ने म सफदान गांका हराता? कान काला पालि। वार स्वरण	@ KII EN / W VE	ะ สนาโชวิโตส์ เล่า รอก เ		- N	ni¢	lear:
•• इस गेग को बाट दे बच नमधिरेंगन पहुंचे किए घए नमधिरेंगन के प्रतिस्वानन में नहीं है। ••• घोट रही घटा। फिके प्रवारत के नाम में पारित है तो नाभनिरेंगन करवकर की कोर से विधिग्रेने का में हतार कि के वर्तन होगा हुआ होरन प्रत्य प्रदिग । प्रत्य प्रदेश को पहुं करने के लिए प्ररूप म/हग 				46 C 1		
•••• धरि कार धरान दिनो प्रवारक के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन घरप्रक को घोर से विधिग्रने का मे हत्यार किने काविन डाया हुलावारित याना पाहिए। प्रवय XVI [धर्नितन 18 (7) देखें] पानिटितन को यह करने के लिए प्रवय मे/हम मे/हम पारक का/धारकों के नाम) मेरे/द्वमारे इन्या दिन का यह करने होतिए प्रवय (धारफ का/धारकों के नाम) मेरे/द्वमारे इन्या दिन का प्रवारक के वास रह करना हं/करने है। (सारे का प्रार्थ में से याने याने याने प्रार्थ के साथ कार्याय कार्याय कार्या कांग के उद्यावाय साथ प्रता के घारिक हे तो नामनिर्देशन का प्रवयन घरमारक की घोर में विधियुने क्य से लखता काविन हाया हत्यावरित वाद विरुष का साथ प्रता के प्रारंग है कि भाषतीय संवर्धिक कियान के रहका के का का प्रवर के तो में के विधियुने क्य से लखता काविन हाया हत्यावरित पार एन. प्रारंग का ताम कार्य है कि भाषतीय संवर्धिक कियान के रहका के का प्रवर के तो में के का प्रवर के का प्रवर के विध्य के का प्रवर का प्रारंग का घर के साथ के पार के विधिग्र क्या हा का प्रारंग के का प्रवर के के का प्रवर के का प्रवर के की का प्रारंग का प्रारंग का						A A
 मे/हग (यारफ सा/यारकों के ताम) मेरे/हमारे द्वारा कि या (यारफ सा/यारकों के ताम) मेरे/हमारे द्वारा कि या (ताराय) क् सा पणेन या, तिम संवयांक ति-मन ताराय वार्कस मूख्य (यारफ से मूख्य (यारफ से मूख्य (यारफ के हुवा (यारफ का (राना चाहिए । प्रहम , XVI [fuiनचन	(18 (7) देखें]				e fanti geneires
भरे/(मारे द्वारा कि कार्य कार्य) भरे/(मारे द्वारा कि कार्य						
मरे/हमारे द्वर्था कि गए	н/हग	(धारक फा/धारकों के लाम)	ने.चे विगिदिष्ट घोर		को प	जिस्ट्रोफुत , बंघपत्रों, की
(हारतथ) बम सं: यणंत्र प्रांत युद्धि 1. 3. हराज ह					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.5 7 1
ात्मन ताराज मान्सस मूहय 		NY	के नामनिर्देशन को इसके	gitt te with star start		
2 3. स्थान साधिग्यों के उत्तवार धार पते 1. 2. • बॉद बंधपक्ष कियों '		htt	के नामनिर्देशन को इसके	डारा रह करता हं/करते है।	а. ,	
3. स्थान कार्राय साधिग्यों के उत्तराक्षर प्राप्त पति 1. 2. • योध बंधपुरा 1	भेरे/हमारे इत्या किंग क	कार्य (कार्राख)				न्स मूस्य
स्थान कार्राय साधियों के उत्ताधर दार पते	मेरे/हमारे इत्या किंग य त्रम सं:	कार्य (कार्राख)			tif.	त्स मुख्य
कार्राण सारियों के उत्तरावर ग्रांग पते	मेरे/हमारे इत्या किंग क त्रम सं: ⊐ ⊒.	कार्य (कार्राख)				Б К ЦЕЧ
साधियों के इस्तावर प्राप परंग । ॥ • बांध बधपका फिरों '	मेरे/हमारे इत्या किंग क वम सं: 1	कार्य (कार्राख)			ti ft	Б н цеч
साशियों के हस्ताक्षर साथ पसे	मेरे/हमारे द्व⊴ा किंथ क त्रम सं: 1 3.	कार्य (कार्राख)			tif.	<u>бк मू</u> ह्य
साराणा क हत्तादार दार पत 	मेरे/हमारे द्वया किंग क त्रम सं: 1 3. रुपान	कार्य (कार्राख)			ці.	
ाः • यदि बधपका किसो किसमय के गाम में धारित है तो सामनिर्देशन का रहकारण अवस्यक्ष की घोर में विधिषणे कम में हलवार करवि। हारा हहतादारि का जाता चाहिए। जाता चाहिए। पाद एग. प्रधवार, प्रजन्ध कि	मेरे/हमारे द्वया किंग क त्रम सं: 1 3. रुपान	कार्य (कार्राख)			tif	• (धारपः के हस्त।
• यांव बयपर किसो किसो किसाय में गाम में प्रतिह है तो सामनिर्देशन का रहकरण प्रकारण प्रकार में विधिषुर्ग करा में हलवार करकि। हारा हहताहतरि काना पहिए । जाना पहिए । पार. एस. प्रयाह के के भारतीय प्रतीय प्रतीय के होक के रहकर तेल के रहकर के स्थान के स्थान के स्थान के	मेरे/हमारे इत्या किंग क वर्म सं: 	(हार्रव्य) दर्णन			ti fu	• (धारपः के हस्त।
पाद दिरुष्ण मनाजित वियम आता हे कि भारतीय मंत्रोपिक किन्द्र के के का जिन करता है का जिन	मेरे/हमारे इत्या किंग प वम सं: 1 3. रुपान कार्राय साधियों के उत्तकार द 1.	(हार्रव्य) दर्णन			tif	• (धारपः के हस्ता
पाद दिरुष्ण मनाजित वियम आता हे कि भारतीय मंत्रोपिक किन्द्र के के का जिन करता है का जिन	मेरे/हुमारे इत्या किंग क वम सं: 1 3. रुपान कार्राय साधिकों के उत्तकार द 1. 2.	(हार्राख) वर्णन	गु.ि.न्न संदर्धाक	नि-मन सारोख		• (धारणः के हस्ता (धारक का
पाव रिर्णाण ममाणित गिया जाता है कि भारत य प्रांसोजिक दिवगर तेल ने का जिन कार के	मेरे/हुमारे इत्या किंग क वम सं: 1 3. रुपान कार्राय साधिकों के उत्तकार द 1. 2.	(हार्राख) वर्णन	गु.ि.न्न संदर्धाक	नि-मन सारोख		• (धारणः के हस्ता (धारक का
पाव रिर्णाण ममाणित गिया जाता है कि भारत य प्रांसोजिक दिवगर तेल ने का जिन कार के	मेरे/हुमारे इत्या किंग क वम सं: 1 3. रुपान कार्राय साधिकों के उत्तकार द 1. 2.	(हार्राख) वर्णन	गु.ि.न्न संदर्धाक	नि-मन सारोख		• (धारणः के हस्ता (धारक का
	मेरे/हुमारे इत्या किंग क वम सं: 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(हार्रथा) वर्णन सार पते सार पते सार पते सार हे	युरि, न्म संबद्धांक तो मागनिर्देशन का इष्ट्राप्त्र व	निः। मन सार्यस्व भ्रथयस्यः को गोर मे विश्विष्यं	क्ष में हरादार क	• (धारणः के हस्त (धारक का (धारक का

D.

• • 7

.

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1990

No. 3144 CAD.Bonds General Regulations.—In exercise of the powers conferred by Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, is pleased to make the following Regulations, namely :—

1. Short title and applications.—(1) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990.

(2) They shall apply to Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of subsection (1) of Section 15 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

2. Definitions --- In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context.

- (a) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;
- (b) "Bonds" means the Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.
- (c) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India established under the Act;
- (d) "Defaced Bond" means a Bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a Bond are those where :--
 - (i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the Bond, or payment of interest are recorded; or
 - (ii) the endorsement or the name of the payee is written; or
 - (iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;
- (e) "Form" means a form as set out in the Schedule to these Regulations;
- (f) "Lost Bond" means a Bond which has actually been lost and shall not mean a Bond which is in possession of some person adversely to the claimant:
- (g) "Mutilated Bond" means a Bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof:
- (h) "Office of Issue" means the office of the Small Industries Bank on the books of which
 a Bond is registered or may be registered;
- (i) "Produit of Officer" means the General Manaeet or such officers of the Small Industries Bunk as may be authorised by the Board of Directors of the Small Industries Bank

for the purposes of Regulations 11, 12, 13, 15, 17, 19 and 20;

(j) "Stock Certificate" means a Stock Certificate issued under Regulation 3.

3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof, etc.--(1) A Bond may be issued in the form of :---

- (a) A promissory note payable to, or to the order of, a certain person; or
- (b) Stock registered in the books of the Small Industries Bank for which Stock Certificates are issued.

(2) (a) A Bond issued in the form of a promissary note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(b) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the, Bond.

(3) A Bond issued in the form of a Stock Certificate and registered in the books of the Small Industries Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form V. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of Stock to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Small Industries Bank.

(3A) (a) Notwithstanding anything to the contrary herein contained, the Small Industries Bank may at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the person entitled to the Bonds.

(b) The Bords may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the Small Industries Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subsecuently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or Stock.

(c) If a Bond has already been issued in the form of a promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the Small Industries Bank shall make requisition in Form XI and surrender the Bond duly eadorsed in favour of the Small Industries Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the Small Industries Bank.

(d) If the Bond has been issued in the form of Stock Certificate, the hold, r shall transfer the Bond in favour of the Small Industries Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the holder.

(c) A person holding Bonds in the form of an entry in an account main'ained by the Small Industries Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a Stock Certificate by making an application in Form XII. (f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the Small Industries Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or Stock in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank or vice versa.

(g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in form XIII. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferce is entered in the books of the Small Industries Bank.

(4) (a) A Bond shall be issued over the signature of the Managing Director or in his absence by an Executive Director and or a General Manager of the Small Industries Bank which may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical precess as the Small Industries Bank may direct.

(b) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(5) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of a Stock Certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.

4. Trust not recognised.—(1) The Small Industries Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a Bond other than an absolute right thereto in the holder.

(2) Without prejudice to the provisions of subregulation (1), the Small Industries Bank may, as an act of grace and without liability to the Small Industries Bank, record in its books such directions by the holder of a Bond issued in the form of Stock for the payment of interest on, or of the maturity value of, or the transfer of or such matters relating to the Stock as the Small Industries Bank thinks fit.

5. Provision for holding Bonds issued in the form of the Stock Certificate by trustees and office holders.—(1) A Bond in the form of Stock Certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the Small Industries Bank and in the Stock Certificate as a trustee whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without any such qualification; or

(b) by the name of his office,

(2) On an application made in writing to the Small Industries Bank in the form required by the Small Industries Bank the person in whose name a 2843 GL/90-5 Bond stands and on surrender of the Bond, the Smail Industries Bonk may-

- (a) make an entry in its books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a Stock Certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be; or
- (b) issue a Stock Certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the Stock by the name of his office, according to the applicant's request provided—
 - (i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof;
 - (ii) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of subregulation (7) has been furnished; and
- (iii) the Bond, if it is in the form of promissory note, has been endorsed in favour of the Small Industries Bank and if in the form of Stock Certificate, has been receipted by the registered holder in Form 'X.

(3) The Stock Certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.

(4) When the Stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the Stock Certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the Stock Certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a Stock Certificate holder described in the books of the Small Industries Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the Small ries Bank, the Small Industries Bank not be concerned to inquire whether the Industries shall Stock-holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a Stock Certificate holder and whether the Stock Certificate holder is or is not described in the transfer deed, power of attorney or document as a trusteor as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in these Regulations shall, as between any trustees or office holder and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument -constituting the trust, or the rules governing the association of which the Stock Certificate holder is a holder of an office and neither the Small Industries

the seas the same large at the sea

Bank not any jet on holding or acquiring any interest in any Stock Certificate shall by riason only of any entry in any register maintained by the Small fedustries Bank in relation to any Stock Certificate or any Stock Cirnicate holder or of anything in any document relation to Stock Certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any Stock Certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any Stock Certificate.

(7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this Regulation by a person as being the holder of any office, the Small Industries Bank may require the preduction of evidence-that such person is the holder for the time being of that office.

6. Provision for holding of bonds issued in the form if promissory notes by trust[trustee(s):--(1) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) of Regulation 4, the Small Industries Bank may, at the request of the applicant and without liability to the Small Industries Bank, issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or as the case may be in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.

(2) Where a Bond in the form of promissory note stands in the personal name of the holder, the Small Industries Bank may, on an application made by him in the form required by the Small Industries Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof provided that--

 (i) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation
 (6) hereof has been furnished; and

(ii) the Bond has been endorsed in favour of the Small Industries Bank.

(3) The Pend under sub-regulation (1) may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.

(4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee. or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the Small Industries Bank, the Small industries Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such power of atterney or other document, and may act on the endorsement, power of attorney or document in the same manner as though such endorser is a Bond holder and whether the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, end whether he does or does not purport to make endorsement or evecute the nower of attorney or document in his veapacity as a trustee. (5) Nothing in these regulation, shall, as between any trustees and the brancharie, under a trust or any document or rules, the decined to pathorise the trustees to act otherwise than in previdance with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.

(6) Beftre acting on any application made, in parsuance of this regulation by a person as being the trustice of any trust, the Smali Industries Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.

7. Persons disqualified to be holders:—No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.

8. Payment of Interest:---(1) Interest on a Bond in the form of a promissory note shall be paid by the Office of Issue or any other office of the Small Industries Bank specified in the Bond Prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Small Industries Bank may require, and on presentation of the Bond.

(2) Interest on a Bond in the form of Stock Certificate shall be paid by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at the time of payment of interest bet the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.

(3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be paid by the Small Industries Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries -Bank.

9. Procedure where Bond in the form of a promissory note is lost, etc. :--(1) Every application for the issue of a duplicate Bond in place of a Bond which is alleged to have been Lost. Stolen. Des'royed, or Mutilated or De'aced, either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue, and shall contain the following particulars, namely :--

- (a) Bond No......for Rs......of the percent Small Indust tries Development Bank of India Bonds.... (year)
- (b) Last half-year for which interest has been paid;
- (c) The person to whom such interest was paid;
- (d) The person in whose name Bond was issued (if knewn);
- (c) The circumstances attending the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement; and
- (f) Whether the Loss or Theft was reported to the police.

34

. 1

÷ 4

(41. 111 - 1.48 4)

મારત માર્ગનોહા હતાં કેલ્પ્ય

- (2) Such application shall be accompanied by:---
 - (a) where the Bond was lost in the course' of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the Bond;
 - (b) a copy of the police report, if the Loss or their way reported to the police;
 - (c) if the applicant is not he registered holder, an alfidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and
 - (d) any portion or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced bond.

10. Notification in Gazette :- The Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of a Bond or portion of a Bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement occuered. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as creationstances permit :--

"The Small Industries Epvelopment of India Bond No.....of the....per cent Bond..... for Rs....originally standing in the name of.. proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been *Lost|Stolen|Destroyed| Mutilated|Defaced, notice is hereby given that payment of the above Bond and the interest thereupon has been stopped at the Office of Issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned Bond.

*Delete whichever is not applicable

11. Issue of duplicate Bond and taking of indemnity :--(1) After the publication of the last notification [rescribed in Regulation 10, the Prescribed Officer shall if he is satisfied of the Loss, Theft Distruction, Mutilation or Defacement of the Bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the Bond to be included in, a list published under Regulation '13, and thall order the Office of Issue-

(a) if only a portion of the Bond has been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue, to the applicant, on execution of an indemnity' such as is hereinefter mentioned a duplicate Bond in place of that of which a portion has been so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or.

Defaced either immediately after the publication of the list under Regulation 13 or on the expiry of such period as the Prescribed Officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;

- (b). if o portion of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, sufficient for its identification has been produced —
 - (1) to pay to the applicant, two years after the publication of the said nst, and on the execution of an indemnity in the manner heremafter presented, the interest in respect of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Oefaced till the expiry of the next period of four years next as hereinafter provided; and
 - (ii) to issue to the applicant a duplicate Bond in place of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated for Defaced four years after the date of publication of the said list, provided that :---
 - (i) if the date on which the Bond is due for repayment falls earlier than the date.
 on which the said period of four years expires, the Prescribed Officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the Bond in the Post Office Savings Lank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, to the applicant at the time when a duplicate Bond would otherwise have been issued, and
 - (11) if at any time before the issue of the duplicate Bond the original Bond is discovered or it appears to the Officer of Issue for other reasons that the order should be resended, the matter shall be referred to the Prescribed Officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescined or otherwise modified.

(2) The Prescribed Officer may, at any time prior to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate Bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.

- (3) Indemnities -
 - (a) (i) when executed under sub-regulation

 (1)(a) shall before twice the amount of
 interest involved, that is to say, twice the
 amount of all back interest accrued due
 on the Bond plus twice the amount of all
 interest to accrue due thereon during the
 period which will have to elapse before

35

.

the issue of a duplicate Bond can be made, and

- (ii) in all other cases shall be for twice the face value of the Bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (i).
- (b) the Prescribed Officer may direct that such indemnity shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two suretics approved by him as he may think fit.

12. Procedure when a Bond in form of a Stock Certificate is lost, etc. :—(1) Every application for the issue of a duplicate Stock Certificate in place of a Stock Certificate which is alleged to have teen Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue and shall be accompanied by —

- (a) the Post Office registration receipt of the letter containing the Stock Certificate, if the same was lost in transmi sion by registered post;
- (b) a copy of the police report, if the Loss or Theft was reported to the police;
- (c) allidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the Stock Certificate and that the Stock Certificate is neither in his possession nor has it been transferred pledged or otherwise dealt with by him; and
- (d) any portions or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced Stock Certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The Prescribed Officer shall, if he is statisfied of the Loss, Thelt, Destruction, Multilation or Defacement of the Stock Certificate, direct the issue of a duplicate Stock Certificate in lieu of the original Certificate.

13. Publication of list: (1) The list referred to In Regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All Bonds in respect of which an order has been pased under Regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such Bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of four years from the date of first publicacation.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each Bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the Bond, its value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bear interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the Prescribed Officer for payment of interest or is ue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the Bond was first included.

14. Discretion of the Small Industries Bank :----Notwithstanding anything contained in Regulations 10, 11, 12 and 13, where the Small Industries Bank deems fit, in any case, it shall be lawful for the Small Industries Bank in its absolute discretion to dispense with the procedure prescribed therein regarding the issue of duplicate. Bond and issue duplicate Bond upon such terms as to indemnity or otherwise, as it may deem fit.

15. Extermination of a mutilated Bond as a Bond requiring issue of duplicate :--It shall be at the option of the Prescribed Officer to treat a Bond which has been Mutilated or Defaced as a Bond requiring issue of a duplicate under Regulation 11 or a mere renewal under Regulation 19.

16. When a Bond in the form of promissory note may be required to be renewed :--(1) A holder of a Bond in the form of a promissory note may be required by the Office of Issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely--

- (a) if only sufficient room remains on the back of the Bond for one further endorsement or if any word is written upon the Bond across the existing endorsement or endorsements;
- (b) if the Bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the Office of Issue;
- (c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Bond;
- (d) if the interest on the Bond has remained undrawn for ten years or more;
- (c) if the interest cages on the reverse of the Bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of the Bond do not correspond with the half-years for which interest has become due on the date when the Bond is presented for drawal of interest;
- (f) if the Bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and
- (g) if in the opinion of the Office of Issue, the title of the person presenting the Bond for payment of interest is irregular or not fully provided

(2) When requisition for renewal of a Bond has been made under sub-regulation (1) payment of any souther interest thereon shall be refused until it is elipted for renewal and actually renewed.

મારહ કારણવલ : થકાઇ હવા

[4. 111--1103 4]

17. Person whose title to a Bond of a deceased sole holder may be recognised:—(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hinda, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the Bond shall be the only persons who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Omeer) as having any title to the Bond.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a Bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such Bond shall te the only person who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.

(3) The Office of Issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or office in India.

(4) Notwithstanding anything contained in subregulations (1). (2) and (3), where the Prescribed Officer in his absolute discretion thinks fit, in any case, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate or letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise, as he may think fit.

18. Nomination:---(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 17, where a Bond is held by one or more persons, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may nominate any person or persons to whom, in the event of the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on the Bond may be paid.

Provided that when a Bond is held by two or more persons, the nominee shall become entitled to receive the amount only on the death of all the holders.

Provided further that nothing contained in this Regulation shall affect any claim which any representative of a deceased holder of a Bond may have against the nominee in respect of any amount due on the Bond.

(2) If two or more persons are nominated under sub-regulation (1), the amount due on the Bond shall be distributed amongst the nominees in the manner specified in the nomination, and in the absence of such specification, the amount shall be distributed equally among all the nominees.

Provided, however, that if no nomination subsists or, if such nomination relates only to a part of the amount due, the whole amount or part thereof to which the nomination does not relate, shall be paid to the persons who may be entitled thereto under sub-regulation (2) of Regulation 17. (3) A nomination under sub-regulation (1) may be made by the sole holder or, as the case may be, all the holders together in Form XV.

(4) A nomination may be made only in respect of a Bond which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

(5) Where the nominee is a minor, the sole holder or as the case may be, all the holdyers together may appoint any person (not being a minor) to receive the amount due on the Bond during the minority of the nominee.

(6) Where a Bond is held in the name of a minor, the nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(7) A nomination may be substituted by submitting an application in Form XV or cancelled by submitting an application in Form XVI, together with the Bond, to the Small Industries Development Bank of India.

(8) A nomination or a substitution or a cancellation of a nomination shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shall be noted on the Bond and, on such registration the said nomination, cancellation or substitution, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.

(9) The rights, which a nominee has acquired in relation to the Bond under a nomination duly made and registered under this Regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate Bond and the nominee shall have the same rights in relation to the duplicate Bond as he had in relation to the original Bond.

19. Receipt for renewal; etc:—(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the Office of Issue may, by its order, on the application of the holder —

- (a) on his delivering the Bond or Bonds in the farm of promissary note or notes and on his satisfying the Office of Issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form I, II or III, as the case may be; or
- (b) convert the note or notes into a Stock certificate or Stock Certificates provided the note or notes has or have been endorsed as follows —
 - "Pay to the Small Industrics Development Bank of India"; or
- (c) renew, sub-divide or consolidate a Stock Certificate or Stock Certificates provided the Stock Certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form VI, VII or VIII, as the case may be; or
- (d) convert the Stock Certificate or Stock Certificates into promissory note or notes

 $\begin{bmatrix} PAt, 1 & HI - S(t, -1) \\ P = x_1 + \cdots + p_{n-1} \end{bmatrix}$

provided the Stock certificate or Stock Cortificates has or have been receipted in Form 1X, or

- (c) convert the Bonds of one series into those of another provided--
 - (i) inter series conversion is permissible; and
 - (ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The Office of Issue may, under the orders of Prescribed Officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a Bond under the sub-regulation (1) to executive an indemnity in Form IV with one or more surctiles approved by him.

20. Renewal of Bond in case of dispute as to title:—Whore there is a dispute as to the title to a Bond in respect of which an application for renewal has been made, the Prescribed-Officer may :—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of compotent jurisdiction declaring him to be entitled to such Bond, issue a renewed Bond in favour of such party or

(b) refuse to renew the Bond until such a decision has been obtained.

EXPLANATION :

For the purposes of this Regulation, the expression "final decision" means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

21. Liability in respect of Bond renewed, etc :---When a duplicate Bond has been issued under Regulation 11 or a renewed Bond has been issued or a new Bond has been issued upon sub-division or consolidation under Regulation 19, in favour of a person, the Bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Small Industries Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

22. Discharge

The Small Industries Bank shall be discharged from all liability in respect of the Bond or Bonds paid on maturity or in pace of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated Bond or Bondshas or have been issued—

- (a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due;
- (b) in the case of a duplicate Bond after the lapse of four years from the date of the publication under Regulation 13 of the list in which the Bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original Bond, referred to in Regulation 11 whichever date is later;
- (c) in the case of a renewed Bond or of a new Bond issued upon sub-division or consolidation after the lap-e of four years from the date of issue thereof.

23. Discharge in respect of interest :--Save as otherwise expressiv provided in the terms of the Bond, no person shall be entitled to claim interest on any such Bond in respect of any period which has clapsed after the earlier date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such Bond.

24. Discharge of a Bond :---(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment or principal, it shall be presented at the office of the Small Industries Bank at which interest thereon is payable or at the Office of Issue duly signed by the holder to its reverse;

(b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Onlice of Issue.

25. Exercise of Powers on behalf of the Smill Industries Bank:— The powers/exercisable by the Small Industrie: Bank under Regulations 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) and 8(1) may be exercised on behalf of the Small Industries Bank by the Managing Dieretor and in his absence by an Executive Director and/or a General Manager of the Small Industries Bank.

THE SCHEDULE

FORM I [See Regulation 19 (1) (a)] Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Note Received in lieu hereof, a renewed Note Payable to

(name	e of holder)		
the small Industries Development Bank of India,			
Signature of the holder duly authorised representative of	(place)		
autorised representative of			
(name of holder)			
FORM II [See Regulation 19(1)(a)]			
Form of endorsement for sub-division of a Bond in the form Received in licu hereof	n of a Promissory Nete		at the for the set
Notes for Rs		********	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	with interest	popula to
the Small Industries Development Bank of India,			
Signature of the holder duly authorised representative of	- (place)	All State and strategies	• • • • • • • • • • • • • • •

Game of holder)

38 .

[a. 4]] 1212 4] ·····

١.

4

भ रत का राजका प्रसाधारण

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 A	101111-01140 P	COLUMN TWO IS NOT	110 A. M. M	 I = [1 = [1]

FORM IN LODGE CONTRACTORS

the new second contraction of Banks in the form of Promissory Note

		(name of holder)		
THOUTES) O. (h) O' 1	N (c) or Notes No.(s) T Note(s) disired to be consolid	aterd with it and specifying	the issue] with interest	payable by the Small
Infames Decommen	. Bink of India,	(place)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····
Sigantic of the	holder hily authorised represe	ntative of		
TOTAL CONTRACT OF CONTRACTOR OF CONTRACT	of nolder			
FORM-LV [See Regar	arion (9(2)]			
	as by these presents that we	(name of n	(rincipal)	
and			Resident of	·····
		(\$	uraty No. 1)	
of				
	(Sarety No. 2)		***************************************	
Resident of			hereby bir	d ourselves and each
of us, our and each of Industries Developme called "the said Shidt Shidt Industries Bank	our heirs, executors, administ at Busk of India as established (Industries Busk') for payme , its certain attorneys, successor	rators and representatives and under the Small Industries D nt of the sum of Rs s and assigns.	d all of them jointly and se Development Bank of India .	rverally to the Small Act, 1989 (hereinafter to the said
AND Freach of	us the said		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	() hereby	name of Principal and Name	e of Surety/Sureties)	
of Judienture at Luck to such suit be remov jurisdiction at Luckac	n (127 of this obligation or the no.s/Bombay, the same may, a red unto, tried and determine sw/Bombay.	condition hereunder written t the instance of the said S d by any of the said H	n in any Court subordinal Small Industries Bank, who High Courts in its extraor	te to the High Court ever may be a party dinary original civil
WHERI AS TI	1E said		•••••••••••••••••••••••••••••••••	has
applied to the said S	null Industries Bank, for the ioned in the schedule hereto.	(name of Principal)		
AND WHERE	AS the said Small Industries B	ank has consented and agreed	to accept the said applicat	ion on the sold
(name of Princip		with two good and sufficie	nt surcties entering into and	d executing the above
	NS the above bounden			
	come surety/sureties for			
in executing the above	said(name	of Principal)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••
	tion of the above written bond			
an.1	(name of Su	or each of then rety/Sureties)	n or their heirs, executors	administrators or
to the Bond(s) issued other persons whoms against all dimages, to for or in conseque of any interest due e shall contant and f		Bank mentioned in the sched d(s) or the renewal thereof c mises which the said Small J and or by reason of the issue c Bond(s) then the above wr	I demands of all persons c lules hereto or to any , int or the payment of interest Industries Bank may sustain of renewed Bond(s) as afore itten bond shall be void b	laiming to be entitled erest thereon and of thereon and from and n, incur or be liable said or the payment ut otherwise the same
Nighed shall the	wered by	(pama of Data to a		

(name of Principal)

a.

-

 \mathbf{x}

THE	GAZETTE	OF	INDIA	EXTRAORDINA	11.12
	O. D.L.IIL	OI.	INDIA	LATRAORDINA	KY

40

,

40	THE GA	ZETTE OF	INDIA : EXTRA	ORDINARY	[PART III-SEC. 4	j
in the presence ist.	·····	*****	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nd of	[FART JII-SEC. 4	
Date :						•
		Number				
	2 114 1141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Amount	•	
FORM V [See Regul	ation 3(3)]					
Form of Transfer						
PWe	(name c	*****	••••••		do hereby assign and	
ransfer my our intere-	st or share in the in	soribal Stock o	f the			
er cent Smill In fa	stries Development	Bank of India	Bonds,	····		
b		ine anen er Filmane en a	baing the network	r)	1	
pecified on the face of	of this instrument to	gether with the	accrued interest thereor	n unto	· Rs	
is/her/their executory.	administrators or	assions and the	v. ''	(name	of transferee(s))	
					•••••••	
b freely accept the al	nove Stock transferra	d to the extent i	t has been transferred to	o melus		
1/ WC	(name of tran	sferee(s))	••••••••	hereby rec	uest that on my/our being	
gistered as the holds	r(s), of the Stock	hareby transfor	red to me/us the afores	ald Stock Certificate	to the 'extent it has been	
	the remember in 1	ingrout mainely	conversed in my/our r	10 ma(e)	quest that on the above	1
niferee(s) being regi- ent it has not been	stered as the holder transferred to him/	(s) of the Stock	hereby transferred to enewed in my/our nam	him/thein the aforesaid	d Stock Certificate to the	
As witness our h	and the		day of		one	
wyana mno nanarea		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L Dy Ins above nam	transferor in the pres	ence of **	
dress :		··· (Transferor)			· ·	
ransferee)						
Idress :			1			
ned by the above n.	imed transferee in t	the presence of	**	*******		
• This paragraph	is to be used only	when a portio	n of a certificate is tra	nsferred.		
	upation and address	s of witness.	2			
ORM VI [See Regula	and the second			ж. Т		
	ement for renewal o					25
Received in lieu	hereof a renewed S	Stock Certificat	te of the	••••••••••••••	per cent Small	
	•		(vear)	for Rs		
the			name of		with interest	
vable by the small i	a i fatties Develop n	ient Bink of In	"		with interest	
1 1 1				place)		
				Signature of duly authorized	the registered holder/ I representative	
RM VII [See Regul	ation 19(1)(c)]			(name of regis	lered holder)	
Form of end irse	m:n for sub-divisio	n of a Stock C	ertificate			-
Received in lieu	of this Stock Cortili.	ate No			Stock	
			(vear)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	with interest payable by the	
all Industries Develo	opment Bank of Ind		·····	••••	· 2 3	
		. (place)			
6				Signature of	the registered holder/	
		•		duly authorise	d representative	
			1420	(name of	registered holder)	
s. ••			~	· · ·		
			• 8%		1	
and a second	×	-				

Contraction of the state of the	Welling and many and and and and		
FORM V	III [See Regulation 19(1)(c)]	and the state of a second state of a se	alla di secondari de la companya di secondari de la companya di secondari de la companya di secondari de la com Secondari de la companya di secondari de la companya di secondari de la companya di secondari de la companya di
For	m of endorsement for consolidation of St	ock Certificates	
	wived in lieu of Stock Certificate Nos		Čim Die
raspictivel	y of the	r cent Small Industries Develop	nint Back of India Bonds
Small Indi	Sertificate for Rs.		f the
	ustries Development Bank of India Bonds,	(vell/s)	with interest payable
Small Inde	astries Development Bank of India	00000	
		(place)	<i>2</i> 0
ж. 2 ^э			Signature of the registered duly authorised representative
FORM	([See Regulation 19(1)(d)]		(name of registered hol
			1751 (C. 1. 1766)
For	rm of endorsement for conversion of Stoc	k Certificates into Promissory N	lutes
Notes of	ceived in tieu of this Stock Certificate Rs		Pro
Certificate	for the balance amounting to R.		e.ch together with a new
payable b	for the balance amounting to Rs y the Small Industries Development Bank	of India.	with
			(place)
			Signature of the registered
			duly authorised representative
FORM X	(S >: Regulation 5(2)(b)(iii)]		(name of registered holde
	a of rocsipt for renewal of a Bond issued	in the form of Seat of sea	
Rece	ivel in lim breat a second state	in the form of Stock Certificat	c
Industries D	ived in lieu hereof a renewed Stock C Development Black of India Bonds.	ertificate of the	per cen
		(***************************************
in favour o	of	(year)	
		with is	starting company and share the starting of the
Dovelopmen	nt Bank of India,	with in	torest payable by the Small Inc
Developmer	nt Bank of India,	(place)	torest payable by the Small Inc.
Developmer	nt Bank of India,		
More La			(Signature of registered holder)
FORM XI	[See Regulation 3(3A)(c)]	(place)	(Signature of registered holder)
FORM XI		(place)	(Signature of registered holder)
FORM XI Requ Bank	[See Regulation 3(3A)(c)]	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To :	[See Regulation 3(3A)(c)]	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder)
FORM XI Requ Bank To : Manager,	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Steti Smill Indus	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Steti	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Steti Smill Indus Bombay/Luc	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India	(place) m of Promissory Note into an e	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Steti Smill Indus	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India, cknow.	(place) m of Promissory Note into an e Date	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Seti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir,	[See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India, cknow. Re :	(place) m of Promissory Note into an e Date	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Seti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir, Wo h.	([See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, cknow. Re :	(place) m of Promissory Note into an e Date ries Development Bank of India evelopment Bank of India Bond	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Secti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir, Wo h. of the aggre be allowed t	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date ries Development Bank of India evelopment Bank of India Bond listed on the reverse 13/are fo	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Secti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir, Wo h. of the aggre bs allowed t	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date ites Development Bank of India evelopment Bank of India Bond listed on the reverse is/are fo in the account to be maintain	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Secti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir, Wo h. of the aggre bs allowed t	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date ites Development Bank of India evelopment Bank of India Bond listed on the reverse is/are fo in the account to be maintain	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Wo h of the aggre bs allowed t Znamo for wh Bink. Thor are as per d	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the purson(s), who has/h	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Wo h of the aggre bs allowed t Znamo for wh Bink. Thor are as per d	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the purson(s), who has/h	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Wo h of the aggre "bs allowed t "mams for wh Bink. That are as per d In this behalf as per	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour,	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requised Bank To : Manager, Bonds Steti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Wo have of the aggre bs allowed to Sink. There are as per do In this behalf as per Wo te	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour,	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour,	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	(See Regulation 3(3A)(c)) isition for conversion of Bond in the for isition for conversion of Bond in the for on, tries Development Bank of India, cknow. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour,	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour,	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond acrips duly e(s) of the parson(s), who has/h d of indemnity in your favour, urse certificate of holding of bo at the address given above.	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the purson(s), who has/h d of indemnity in your favour, urse certificate of holding of bo at the address given above.	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Doar Sir, Ws h. of the aggre bs allowed t Zname for wh Bink. There are as per d In this behalf as per Ws ca Industries Ba	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date Date isted on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the purson(s), who has/h d of indemnity in your favour, urse certificate of holding of bo at the address given above.	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind
FORM XI Requ Bank To : Manager, Bonds Szeti Smill Indus Bombay/Luc Dear Sir, Wo h: of the aggre "bs allowsd t "nams for wh Bink. Thy r are as per d In this behalf as per Wo cy Industries Ba In thy	 [See Regulation 3(3A)(c)] isition for conversion of Bond in the for on, trios Development Bank of India, know. Re:	(place) m of Promissory Note into an e Date Date into Development Bank of India evelopment Bank of India Bond listed on the reverse is/are fo in the account to be maintain the relevant bond scrips duly e(s) of the purson(s), who has/h d of Indemnity in your favour, urse certificate of holding of bo at the address given above.	(Signature of registered holder) ntry in the account with the Small Ind

•••

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

	LIFTOF BULL CO	
De		IPS ENCLOSED IU.RETO
	omissory Note(s) in denomination(s) as stated below :	
I. Bond	Szrip N)	ed
2. Bond	Serip No	dated
3. Bond		uated
	gregate face value of the B and Serips Rs.	
Spectralin	Signiture(s)	Singly/Jointly/Either or Survivor
Name.	1	Designation
Address	······································	
Telephone	1	10 L
Eaclased	(i) Boad Scrips for aggregate value of Rs.(ii) Deed of Indemnity.	Telex :
FORM X	It [See Regulation 3(3A)(c)]	
To : Manager, Bonds Sect	tion,	in the form of entry in the account with the Small Industries
Bombay/L	istries Development Bank of India. ucknow.	
Doar Sir,		
	Re :	of Julia Bood
Wa	are forwarding herewith the corridents of halding the	of India Bonding (

respect of the Bonds held by us in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India in of India.

We request that our Bond holdings may please be converted and transferred in the form of promissory note(s), as per details given on the reverse.

We request that Bond Series in this regard may please be forwarded to us by registered post at our address given above, alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance amount of the Bonds that are continued to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

			Signature(s) of holder(s)/or his authorised rep	resontative		×
			Name(s) of the	o registered holder(s) uting certificates of		
1. Certificate o Ri	f Holding NJ	Sorias)			·····	
2. Certificate o	f Holding No		······ ·······························	dated		
3. Certificate of	f Holding No		dated	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Aggrogate denominations a	s stated below :	s Rs	of which,	please arrange to	íssue Bond S	krips in
	Denominations		Number	Aggregate fact	a value	
	1,000 each x			=Rs.	e valuo	
(2) Rs.	10.000 each x	9.		= Rs.		
Total.		of the aggregate Fa	ce Value of Rs	·····		

We request that the balance amount of the Bonds may continue to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

42

.

[भाग III - खण्ड 4]

Land the second s	
FORM XIII [See Regulation 3(3A)(g)]	
Form of transfer of Bonds in the	form of an entry in the account with the Small Industries Bank
We,	
with the Smill Industries Development	ank of India do hereby assign and transfer our holding to the extent of Rs.
being the entire p rition of our Bond h	ding together with accrued interest thereon upto to and in
favour of	and a second
We	do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.
Witness our hand this	
Signed by the above named	
in the presence of	
Signed by the above named	(Buyer)
in the presence of	
Note : To be stamped in accordance v Act of the State in which it is	th Article 62(c) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the Local Stamp
FORM XIV [See Regulation 24(b)]	
Form of discharge for the Bonds	eld in the form of entry in the account with the Small Industries Bank
To :	and the second of the second when the situal highwards hank
Manager,	
Bonds Section,	
Small Industries Development Bank of In	Jia,
Bombay/Lucknow. Dear Sir.	
	s Development Bank of India Bond(s)
Received the principal amount with	accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nominal
in the books of the Small Industries Dev	Reference interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nominal
	Yours faithfully,
	Signature(s) of the registered
	holder(s)/or his duly authorised
	representative

भारत का राजपत्न : रागाधारण

43

FORM XV [See Regulation 18]

1

Form of nomination-substitution of nomination

[Name(s) of the holder(s)]

person(s) to whom, in the event of my/our/minor holder's death, the amount due on the Bonds specified below may be paid:

BONDS

Date : Place :

Name(s) of registered holder(s)

Sr. No.	Description	Distinctive Nu	mber	Date	of Issu	¢	Face	Value	
1.							 (11) (1) 		
		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					-		
			NOM	INEE(S)					

Name	Address	Date of Birth (if the nominee is a minor)	Percentage of amount payable @
1.			
2.	s		
3.			
7 • A • th	• nominu(s)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

person to receive the amount due thereon in the event of my/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).

us and regist	ered in the books of	substitution of the nomination	dated ont Bank of India on	made by me
Signatures as	nd address of witnesse	s :		***(Signature of the holder)
1.			Place :	
2.				
'a lodi	cate in this column th	e percentage of total amount	Date :	
		when the nomination is not in		60.
		when the nomination is not in		ready made.
of t	Boad is held in the n the minor.	ume of a minor, the nominatio		person lawfully entitled to act on behal
FORM XVI	[See Regulation 18(7)			
-		Form of cancellation o		
I/We.	·····	$m_{\alpha}(x) = \int dx + \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int dx$	•••••••	do hereby cancel the nomina
tion does a	[IN:	me(s) of the holder(s)]		of the Bonds specified below and registere
non dated		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ade by me us in respect o	I the Baads specified by low and registere
on	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••••••••••••••••••••••••••		of the Bonds specified below and registere
Sr. No.	Description	Distinctive Number		Face Value
on	Description	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Sr. No.	Description	Distinctive Number		
Sr. No.	Description	Distinctive Number		
Sr. No.	Description	Distinctive Number		
Sr. No. 1. 2.	Description	Distinctive Number		
Sr. No. 1. 2. 3.	Description	Distinctive Number		
on Sr. No. 1. 2. 3. Place :	Description	Distinctive Number		Face Value
on Sr. No. 1. 2. 3. Place :	Description	Distinctive Number		Face Value (Signature of the bolder)
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an	Description	Distinctive Number		Face Value •(Signature of the bolder)
on Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date ;	Description	Distinctive Number		Face Value (Signature of the bolder)
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an of witnessess	Description	Distinctive Number		Face Value (Signature of the bolder)
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an of witnessess 1. 2. If th	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value *(Signature of the holder) (Name of the holder)
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an of witnessess 1. 2. If th	Description Ind address Inc Bond is held in the p	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value (Signature of the bolder)
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an of witnessess 1. 2. Signatures an of witnessess 1. 2. If the to a	Description Ind address the Bond is held in the g act on behalf of the m	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value *(Signature of the holder) (Name of the holder) d be signed by a person lawfully entitle (R. S. AGRAWAL Managing Director
Sr. No. 1. 2. 3. Place : Date : Signatures an of witnessess 1. 2. Signatures an of witnessess 1. 2. If the to a	Description Ind address The Bond is held in the p lat on behalf of the m E : Certified that Indu	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value *(Signature of the holder) (Name of the holder) d be signed by a person lawfully entitle (R. S. AGRAWAL Managing Director to Small Leduction Development Deve

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991